दृष्टि The Vision

मेन्स आंसर राइटिंग

(संग्रह)

April 2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 3

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 8
- भूगोल 12
- संस्कृति 13

सामान्य अध्ययन पेपर-2 17

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 17
- राजव्यवस्था 21

सामान्य अध्ययन पेपर-3 30

- अर्थव्यवस्था 30
- पर्यावरण 34
- विज्ञान-प्रौद्योगिकी 38

सामान्य अध्ययन पेपर-4 41

- केस स्टडीज़ 41
- सैद्धांतिक प्रश्न 46

निबंध 55

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन के प्रभाव पर चर्चा कीजिये, इसकी रणनीतियों और परिणामों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

Discuss the impact of the Non-Cooperation Movement on India's struggle for independence, analyzing its strategies and consequences. (250 words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- असहयोग आंदोलन के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिये।
- असहयोग आंदोलन की रणनीतियों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

असहयोग आंदोलन (1920-1922) ने महात्मा गांधी द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिये शुरू किये गए संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया। इसका उद्देश्य अहिंसक प्रतिरोध, बहिष्कार एवं सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करना था।

मुख्य भाग:

असहयोग आंदोलन की रणनीतियाँ:

- **ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार:**
  - भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और इसके बजाय खादी (हाथ से बुने हुए कपड़े) अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया गया।
  - इससे भारत में ब्रिटिश कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इससे आत्मनिर्भरता के साथ स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन मिला।
- **ब्रिटिश संस्थानों से अलग होना:**
  - लोगों से सरकारी नौकरियों, स्कूलों एवं कॉलेजों से इस्तीफा देने का आग्रह किया गया।
  - इससे ब्रिटिश प्रशासन एवं संस्थाएँ कमज़ोर हो गईं, जिससे उनका शासन बाधित हुआ।
  - इसने स्वतंत्रता के लिये बलिदान देने की भारतीयों की इच्छा को प्रदर्शित किया।
- **सविनय अवज्ञा:**
  - इसमें अहिंसक विरोध एवं अवज्ञा प्रमुख रणनीति थी।
  - उदाहरणों में चौरी-चौरा की घटना शामिल है जहाँ प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये गांधीजी को कुछ समय के लिये आंदोलन बंद करना पड़ा।
- **हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता:**
  - इस आंदोलन का उद्देश्य सांप्रदायिक विभाजन को कम करना तथा हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था।
  - इस एकता से राष्ट्रीय आंदोलन को मज़बूती मिली और भारतीयों में एकजुटता की भावना विकसित हुई।

असहयोग आंदोलन का प्रभाव:

- **राजनीतिक चेतना में वृद्धि:**
  - इस आंदोलन ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना के साथ भागीदारी की भावना विकसित की।
  - किसानों एवं श्रमिकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सक्रिय रूप से इस आंदोलन में शामिल हुए।
- **ब्रिटिश प्रतिक्रिया:**
  - ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिये दमनकारी उपाय लागू किये, जिससे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ और दमनकारी नीति को अपनाया गया।
  - इसने भारतीय लोगों की शक्ति तथा दृढ़ संकल्प को उजागर किया।
- **अंतर्राष्ट्रीय ध्यान:**
  - इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर (खासकर ब्रिटेन में) पर ध्यान आकर्षित किया और स्वतंत्रता हेतु भारतीय आकांक्षाओं के बारे में जागरूकता में वृद्धि की।

नोट :

- इस कारण ब्रिटिश सरकार पर भारतीय मांगों पर ध्यान देने का दबाव बढ़ गया।

- **नए नेताओं का उदय:**
  - इस आंदोलन ने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नए नेताओं को प्रमुखता से उभरने के लिये एक मंच प्रदान किया।
  - इन नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद के चरणों में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं।

असहयोग आंदोलन के परिणाम:

- **ब्रिटिश नीति में परिवर्तन:**
  - इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों को भारत में अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिये मजबूर किया।
  - वर्ष 1927 में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिये साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, हालाँकि भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया।
- **भारतीय राजनीति में बदलाव:**
  - इस आंदोलन से भारतीय राजनीति में अधिक मुखर और समावेशी राष्ट्रवाद की ओर बदलाव देखा गया।
  - इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे भविष्य के जन आंदोलनों की नींव रखी।
- **परंपरा:**
  - असहयोग आंदोलन को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसक प्रतिरोध की एक स्थायी विरासत मन जाता है।
  - इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर सहित विश्व भर के भावी नेताओं और आंदोलनों को प्रेरित किया।

निष्कर्ष:

असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण क्षण था, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को आकार दिया तथा भारतीय समाज एवं राजनीति पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के क्रम में भारतीयों के बीच अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति तथा उद्देश्य की एकता को प्रदर्शित किया।

प्रश्न: फ्राँसीसी क्रांति का वैश्विक शासन और सामाजिक पुनर्गठन पर दीर्घकालिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये, फ्राँसीसी क्रांति के अग्रणी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों की जाँच कीजिये। (250 शब्द)

Examine the social, political, and economic factors leading to the French Revolution, evaluating its long-term significance on global governance and societal restructuring. (250 words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- फ्राँसीसी क्रांति का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- फ्राँसीसी क्रांति के लिये अग्रणी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिये।
- वैश्विक शासन एवं सामाजिक पुनर्गठन के लिये इसके दीर्घकालिक महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

फ्राँसीसी क्रांति (1789-1799) विश्व इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था, जो सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक उथल-पुथल का चरण था। यह उन कारकों की जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित था जिनका वैश्विक शासन तथा सामाजिक पुनर्गठन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा था।

मुख्य भाग:

सामाजिक कारक:

- **सामाजिक असमानता:** फ्राँसीसी समाज तीन संप्रदायों में विभाजित था, जिसमें पादरी और कुलीन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि आम लोगों को उत्पीड़न तथा गरीबी का सामना करना पड़ रहा था।
- **बौद्धिक ज्ञानोदय:** स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे की वकालत करने वाले प्रबुद्ध विचारों ने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी तथा राजशाही और चर्च के अधिकार पर सवाल उठाया।
- **राजशाही के प्रति नाराज़गी:** लुई XVI के तहत पूर्ण राजशाही को दमनकारी एवं आम लोगों की ज़रूरतों के खिलाफ माना जाता था।
- **अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा:** ब्रिटिश शासन के खिलाफ सफल अमेरिकी क्रांति (1775-1783) ने फ्राँसीसियों को राजशाही शासन से मुक्ति पाने के लिये प्रेरित किया।
- राजनीतिक कारक:
- **वित्तीय कुप्रबंधन:** फ्राँसीसी राजशाही के वित्तीय कुप्रबंधन (जिसमें युद्धों पर अत्यधिक खर्च शामिल था) के कारण आर्थिक संकट पैदा हो गया।
- **एस्टेट-जनरल की विफलता:** वर्ष 1789 में बुलाई गई एस्टेट-जनरल, तीसरे एस्टेट की शिकायतों को हल करने में विफल रही, जिसके कारण नेशनल असेंबली का गठन हुआ।
- **नेशनल असेंबली का गठन:** तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल असेंबली ने क्रांति की शुरुआत करते हुए खुद को फ्राँस की वैध सरकार घोषित किया।

नोट :

आर्थिक कारक:

- **फसल का खराब होना:** 1780 के दशक के अंत में फसल के खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई तथा कीमतें बढ़ गईं, जिससे आम लोगों की स्थिति काफी नाज़ुक हो गई।
- **कराधान प्रणाली:** इससे आम लोगों पर कर का बोझ बढ़ गया, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग को इससे छूट प्राप्त थी, जिससे लोगों में नाराज़गी और असंतोष को बढ़ावा मिला।
- **पूंजीपति वर्ग की आर्थिक आकांक्षाएँ:** पूंजीपति वर्ग (जिसमें धनी व्यापारी और पेशेवर शामिल थे) ने सामंती व्यवस्था को चुनौती देते हुए अधिक राजनीतिक शक्ति एवं आर्थिक अवसरों को पाने का प्रयास किया।

दीर्घकालिक महत्त्व :

शासन का लोकतंत्रीकरण: फ्राँसीसी क्रांति ने आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं संस्थानों के लिये आधार तैयार करते हुए, पूर्ण राजतंत्र से प्रतिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तन को उत्प्रेरित किया।

राष्ट्रवाद और नागरिकता: इस क्रांति ने राष्ट्रीय पहचान एवं नागरिकता की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे राजशाही या स्थानीय प्रमुखों के प्रति पारंपरिक निष्ठा के इतर, विश्व भर में राष्ट्रवाद के उदय में योगदान मिला।

मानव अधिकार और सामाजिक न्याय: इस क्रांति के दौरान मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा से मानव अधिकारों एवं सामाजिक समानता के सिद्धांत को बल मिला जिसका प्रभाव स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों के लिये होने वाले बाद के आंदोलनों पर पड़ा।

वैश्विक शासन पर प्रभाव: फ्राँसीसी क्रांति ने लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन सहित विश्व के अन्य हिस्सों में क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने की प्रेरणा मिली।

सामाजिक पुनर्गठन: सामंती विशेषाधिकारों के उन्मूलन एवं भूमि के पुनर्वितरण ने सामाजिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया, इससे आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं एवं सामाजिक गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

निष्कर्ष:

फ्राँसीसी क्रांति सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों के संयोजन से प्रेरित एक जटिल घटना थी। इसका दीर्घकालिक महत्त्व वैश्विक शासन, प्रेरक क्रांतिकारी आंदोलनों एवं सामाजिक पुनर्गठन पर इसके प्रभाव में निहित है। यह क्रांति परिवर्तन लाने तथा इतिहास की दिशा को आकार देने के क्रम में लोकप्रिय आंदोलनों की शक्ति की याद दिलाती है।

प्रश्न: स्वतंत्र भारत में रियासतों के एकीकरण से संबंधित चुनौतियों एवं रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। इससे स्वतंत्रता के पश्चात भारत की क्षेत्रीय अखंडता को किस प्रकार आकार मिला? (150 शब्द)

Discuss the challenges and strategies involved in the integration of princely states into independent India. How did it shape post-independence India's territorial integrity? (150 words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- रियासतों के एकीकरण के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- स्वतंत्र भारत में रियासतों के एकीकरण में शामिल चुनौतियों तथा रणनीतियों पर चर्चा कीजिये।
- स्वतंत्रता के बाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता को आकार देने में इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

स्वतंत्र भारत में रियासतों का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई चुनौतियों के साथ नवगठित राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने के लिये तार्किक रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता थी। वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को एक एकीकृत राष्ट्र-राज्य के रूप में मज़बूती प्रदान करने के लिये यह एकीकरण महत्त्वपूर्ण था।

मुख्य भाग:

संबंधित चुनौतियाँ:

- **विविध राजनीतिक परिदृश्य:** भारत में 500 से अधिक रियासतें थीं, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक और प्रशासनिक ढाँचा था, जिससे खंडित राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ था।
- **सहयोगात्मक प्रणाली में अंतर:** कुछ रियासतें स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गईं लेकिन जूनागढ़, कश्मीर आदि जैसी रियासतें धार्मिक पहचान, ऐतिहासिक शिकायतों या स्वतंत्रता की आकांक्षाओं जैसे कारकों के कारण भारत में शामिल होने के प्रति अनिच्छुक होने के साथ उनका स्पष्ट रूप से विरोध कर रही थीं।
- **सामरिक भू-राजनीतिक चिंताएँ:** कुछ रियासतें (विशेष रूप से पाकिस्तान या चीन जैसे अन्य देशों की सीमा से लगी रियासतें) रणनीतिक महत्त्व रखती थीं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं क्षेत्रीय अखंडता के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।

नोट :

- **कानूनी अस्पष्टता:** एकीकरण प्रक्रिया के लिये स्पष्ट कानूनी ढाँचे की कमी के कारण भारत सरकार एवं रियासतों के शासकों के बीच बातचीत जटिल हो गई।
- **बाहरी हस्तक्षेप:** कुछ रियासतों (जैसे हैदराबाद) को बाहरी शक्तियों से प्रोत्साहन या समर्थन मिला, जिससे एकीकरण प्रक्रिया और जटिल होने के साथ भारत की संप्रभुता के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।

नियोजित रणनीतियाँ:

- **कूटनीतिक विमर्श:** भारतीय राजनेता (विशेष रूप से सरदार वल्लभभाई पटेल) रियासतों के शासकों को स्वेच्छा से भारत में शामिल होने के लिये उनके साथ कूटनीतिक बातचीत में लगे रहे।
- **विलय-पत्र:** विलय-पत्र द्वारा रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिये एक कानूनी तंत्र प्रदान किया गया, जिससे उन्हें आंतरिक मामलों में स्वायत्तता प्रदान की गई, जबकि रक्षा, विदेशी मामलों और संचार पर नियंत्रण भारत के डोमिनियन के पास रखा गया।
- **सैन्य हस्तक्षेप:** ऐसे मामलों में जहाँ राजनयिक प्रयास विफल हो गए या जब रियासतों को आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ा तो भारत सरकार ने विलय हेतु सैन्य हस्तक्षेप का सहारा लिया, जैसा कि हैदराबाद और जूनागढ़ के मामलों में देखा गया था।
- **एकीकरण समितियाँ:** भारतीय संघ में रियासतों के प्रशासनिक एकीकरण की निगरानी करने, सुचारु परिवर्तन एवं संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिये एकीकरण समितियाँ बनाई गईं।
- **राजनीतिक प्रोत्साहन:** भारत सरकार ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिये सहमत करने हेतु वित्तीय सहायता, भारतीय संसद में प्रतिनिधित्व तथा सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी जैसे राजनीतिक प्रोत्साहन की पेशकश की।

क्षेत्रीय अखंडता पर प्रभाव:

- **एकीकृत राष्ट्र का निर्माण:** स्वतंत्र भारत में रियासतों के सफल एकीकरण से परिभाषित क्षेत्रीय सीमाओं के साथ एकीकृत राष्ट्र-राज्य का निर्माण होने से भारत की क्षेत्रीय अखंडता मज़बूत हुई।
- **सामरिक सीमाओं का संरक्षण:** जम्मू-कश्मीर जैसी रणनीतिक रियासतों को एकीकृत करके, भारत सीमाओं तथा अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम हुआ (खासकर बाहरी खतरों से ग्रस्त क्षेत्रों में)।
- **विविधता में एकता को बढ़ावा:** भारत का उद्देश्य एकीकरण प्रक्रिया के तहत विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं एवं परंपराओं वाली विविध रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना था ताकि विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा मिल सके।
- **संप्रभुता का सुदृढ़ीकरण:** भारत की रियासतों के सफल एकीकरण से संप्रभुता का दावा करने और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में इसका प्रभाव बढ़ गया।
- **संघवाद की विरासत:** एकीकरण प्रक्रिया से भारत की संघीय संरचना को आधार मिला, जिसमें रियासतों को एकीकृत राष्ट्र के ढाँचे के भीतर कुछ हद तक स्वायत्तता दी गई, जिससे देश के लोकतांत्रिक लोकाचार को मज़बूती मिली।

निष्कर्ष:

स्वतंत्र भारत में रियासतों का एकीकरण एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव था जिससे कई चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं लेकिन अंततः इससे भारत की क्षेत्रीय अखंडता को मज़बूती मिली। कूटनीतिक बातचीत, विधिक ढाँचे एवं रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से भारत ने एकीकृत राष्ट्र-राज्य निर्माण के क्रम में विविध रियासतों का सफलतापूर्वक एकीकरण किया, जिससे इसे वैश्विक मंच पर एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरने के लिये आधार मिला।

प्रश्न: भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय की विवेचना कीजिये। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की शिक्षाएँ किस प्रकार अपने दृष्टिकोणों में समान होने के साथ-साथ एक-दूसरे से भिन्न भी हैं? (250 शब्द)

Discuss the rise of Jainism and Buddhism in India. How do the teachings of Buddhism and Jainism intersect and diverge in their approaches? (250 words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय और प्रसार के परिचय के साथ कीजिये।
- बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं और दर्शन में अंतर बताइये।
- अभिसारी और अपसारी शिक्षाओं के उदाहरणों का उपयोग करते हुए परिभाषित कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन भारत ने बौद्धिक और आध्यात्मिक परिवर्तन की अवधि देखी। वैदिक प्रणाली की सीमाओं के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में दो प्रभावशाली धर्मों-जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव ने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के लिये वैकल्पिक मार्ग प्रदान किये।

नोट :

मुख्य भाग:

भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय:

भारत में बौद्ध धर्म का उदय:

- 2,600 वर्ष पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का उद्भव एक ऐसी जीवन शैली के रूप में हुआ था, जिसमें किसी व्यक्ति में परिवर्तन लाने की क्षमता थी।
- यह धर्म 563 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुए इसके संस्थापक सिद्धार्थ गौतम (गौतम बुद्ध) की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित है।
  - उनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था, जो भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित लुंबिनी में कपिलवस्तु पर शासन करते थे।
- 29 वर्ष की आयु में गौतम ने अपने वैभवशाली जीवन को त्याग दिया और तपस्या, या अत्यधिक आत्म-अनुशासन की जीवन शैली अपना ली।
  - निरंतर 49 दिनों के ध्यान के बाद, गौतम को बिहार के एक गाँव बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि (ज्ञान) की प्राप्ति हुई।

भारत में जैन धर्म का उदय:

- छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को प्रसिद्धि मिली। जब भगवान महावीर ने धर्म का प्रचार किया।
- जैन धर्म में 24 महान उपदेशक हुए, जिनमें से भगवान महावीर अंतिम थे।
  - इन चौबीस उपदेशकों को तीर्थंकर कहा जाता था - जिन्होंने जीवित रहते हुए ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त किया था और लोगों को इसका उपदेश दिया था।
- 24वें तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक गाँव में हुआ था।
- उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में कैवल्य नामक सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया (अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त की)।
- उन्होंने अपने शिष्टमंडल के साथ कोशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि की यात्रा की।

भारत में जैन और बौद्ध धर्म के उदय से जुड़े कारण

- बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय वैदिक धर्म की जाति व्यवस्था और अनुष्ठानों से असंतोष के कारण हुआ। उन्होंने समतावादी दृष्टिकोण, अहिंसा और मुक्ति के मार्ग की पेशकश करते हुए, पीड़ित लोगों और व्यापारी वर्ग दोनों से अपील की। उनकी सरल शिक्षाओं और शाही समर्थन ने उनके प्रसार को और अधिक बढ़ावा दिया।
- अशोक, कनिष्क और हर्षवर्द्धन जैसे महान सम्राटों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जबकि जैन धर्म को उत्तर भारत के चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद और कलिंग नरेश खारवेल जैसे शासकों से संरक्षण प्राप्त हुआ।

बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में अंतर:

- **बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं के बीच समानताएँ:**
  - **अहिंसा पर ध्यान देना:** दोनों धर्मों का केंद्र जीवित प्राणियों को नुकसान से बचाने के सिद्धांत पर आधारित है।
  - **मुक्ति की इच्छा:** पुनर्जन्म (संसार) के चक्र से बचना और ज्ञान प्राप्त करना दोनों परंपराओं में एक प्रमुख लक्ष्य है।
  - **नैतिक आचरण:** दोनों नैतिकता, सही जीवन और नेक मार्ग पर चलने पर ज़ोर देते हैं।
- **बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं के बीच अंतर:**
  - **अहिंसा का कठोर रूप से पालन:** जैन धर्म अहिंसा को अधिक कठोर रूपी चरम पर ले जाता है। जैन जीवन के सभी पहलुओं में अहिंसा का पालन करते हैं, जिसमें झाड़ू लगाते समय मास्क पहनकर सूक्ष्म जीवों से भी बचना शामिल है। सामान्यत: बौद्ध बड़े प्राणियों के प्रति अहिंसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  - **देवताओं की भूमिका:** बौद्ध धर्म देवताओं की पूजा पर ज़ोर नहीं देता है, आत्मज्ञान के लिये व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करता है। जैन धर्म में कई देवता हैं, लेकिन उन्हें निर्माता या उद्धारकर्त्ता के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि ऐसे प्राणियों के रूप में देखा जाता है जिन्होंने स्वयं मुक्ति प्राप्त की है।
  - **सामाजिक पदानुक्रम:** जैन धर्म में अभी भी विभिन्न संप्रदायों के साथ एक मठवासी पदानुक्रम है। बौद्ध धर्म अधिक समतावादी मठवासी संरचना पर ज़ोर देता है।

निष्कर्ष:

जैन धर्म और बौद्ध धर्म, समान परिस्थितियों से उत्पन्न हुए थे, प्राचीन भारत में ज्ञानोदय के लिये अलग-अलग मार्ग पेश करते थे। दोनों ने अहिंसा, अच्छे आचरण और पुनर्जन्म से बचने पर ज़ोर दिया। जिसमें जैन धर्म अहिंसा को चरम पर ले गया, जबकि बौद्ध धर्म ने आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। इन मतभेदों के बावजूद दोनों धर्म भारतीय आध्यात्मिकता के अभिन्न अंग बने हुए हैं, जो आने वाली सदियों तक इसकी नैतिकता, सामाजिक विचार और कलात्मक परंपराओं को प्रभावित करते हैं।

नोट :

भारतीय समाज

प्रश्न: सकारात्मक परिवर्तनों एवं चुनौतियों दोनों पर बल देते हुए पारंपरिक संस्कृतियों, पहचानों तथा सामाजिक संरचनाओं पर वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभावों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Discuss the social repercussions of globalization on traditional cultures, identities, and social structures, emphasizing both positive transformations and challenges. (250 words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- वैश्वीकरण का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- वैश्वीकरण से संबंधित सकारात्मक परिवर्तनों एवं चुनौतियों को बताइये।
- पारंपरिक संस्कृतियों, पहचानों एवं सामाजिक संरचनाओं पर वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभावों की चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व भर के देशों, अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों एवं लोगों के बीच बढ़ती अंतर्संबंध एवं परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया से है। यह प्रौद्योगिकी, संचार, परिवहन और व्यापार में प्रगति से प्रेरित है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण हो रहा है।

मुख्य भाग:

सकारात्मक परिवर्तन:

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विविधता:**
  - वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक प्रथाओं, विचारों और मूल्यों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया है, जिससे समाज विविधता से समृद्ध हुआ है।
  - उदाहरण: पश्चिमी देशों में भारत के योग एवं ध्यान जैसे मूल्यों की लोकप्रियता वैश्वीकरण के सकारात्मक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को दर्शाती है।
- **आर्थिक अवसर:**
  - वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप नए आर्थिक अवसर सृजित हुए, जिससे कई क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार देखा गया है।
  - उदाहरण: भारत में आईटी उद्योगों के उदय से रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलने के साथ पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **तकनीकी प्रगति:**
  - वैश्वीकरण से तकनीकी प्रगति को गति मिली है, जिससे संचार एवं सूचना तक पहुँच में सुधार हुआ है।
  - उदाहरण: इंटरनेट के प्रसार से शिक्षा एवं संचार में क्रांति आई है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में पारंपरिक संस्कृतियों को लाभ मिला है।

चुनौतियाँ:

- **सांस्कृतिक क्षरण:**
  - वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक संस्कृतियों और भाषाओं का क्षरण हुआ है, क्योंकि पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्य प्रभावी हो गए हैं।
  - उदाहरण: फास्ट फूड की लोकप्रियता से कई समाजों की पारंपरिक आहार प्रथाओं में गिरावट आई है।
- **पहचान का क्षरण:**
  - वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कुछ समुदायों की सांस्कृतिक पहचान खत्म हो गई है, क्योंकि वे अधिक वैश्वीकृत जीवनशैली अपना रहे हैं।
  - उदाहरण: वैश्विक मीडिया और उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण विश्व भर के स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का क्षरण हो रहा है।
- **सामाजिक असमानता:**
  - वैश्वीकरण से समाजों के भीतर और उनके बीच सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिला है, जिससे कुछ समूह हाशिए पर चले गए हैं।
  - उदाहरण: भारत में वैश्वीकरण से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को बढ़ावा मिला है, जिससे सामाजिक तनाव और असमानताओं में वृद्धि हुई है।

सामाजिक प्रभाव:

- **पारिवारिक संरचनाओं पर प्रभाव:**
  - वैश्वीकरण से पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव (प्रवासन में वृद्धि और लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव के साथ) आया है।
  - उदाहरण: शहरी क्षेत्रों में एक से अधिक वयस्क सदस्यों की आय वाले परिवारों से कई समाजों में पारंपरिक पारिवारिक गतिशीलता को नया आकार मिल रहा है।
- **बदलते सामाजिक मानदंड:**
  - वैश्वीकरण ने सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों को प्रभावित किया है, जिससे लैंगिक भूमिका जैसे मुद्दों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आया है।

नोट :

- उदाहरण: #MeToo आंदोलन से विश्व भर में यौन उत्पीड़न तथा लैंगिक समानता के संबंध में सांस्कृतिक परिवर्तनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

- **पर्यावरणीय चिंता:**
  - वैश्वीकरण से पर्यावरणीय क्षरण में वृद्धि हुई है, जिससे पारंपरिक आजीविका के साथ सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रभाव पड़ा है।
  - उदाहरण: औद्योगीकरण के कारण वनों की कटाई एवं प्रदूषण से कई स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ रही है।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण का पारंपरिक संस्कृतियों, पहचानों एवं सामाजिक संरचनाओं पर गहन सामाजिक प्रभाव पड़ा है। हालाँकि इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ आर्थिक अवसरों के रूप में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं लेकिन इससे सांस्कृतिक एवं सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत हुई हैं। वैश्वीकरण के आलोक में समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत तथा पहचान को संरक्षित करते हुए इन चुनौतियों से निपटना महत्वपूर्ण है।

प्रश्न: जनसांख्यिकीय संक्रमण को परिभाषित करते हुए जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा को समझाइये। संभावित आर्थिक विकास तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संदर्भ में भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Define demographic transition and explain the concept of demographic dividend. Discuss the significance of India's demographic transition in the context of its potential economic growth and global competitiveness. (250 words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- जनसांख्यिकीय संक्रमण का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा का वर्णन कीजिये।
- संभावित आर्थिक विकास तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संदर्भ में भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

जनसांख्यिकीय संक्रमण का आशय औद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण के दौर से गुज़रते हुए उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म तथा मृत्यु दर की ओर संक्रमण से है। इसके चार चरण होते हैं: पहले चरण में उच्च जन्म और मृत्यु दर, उसके बाद दूसरे चरण में मृत्यु दर में गिरावट के साथ जन्म दर अधिक बनी रहती है, फिर तीसरे चरण में जन्म दर में गिरावट देखी जाती है तथा अंत में चौथे चरण में निम्न जन्म एवं मृत्यु दर होती है।

मुख्य भाग:

जनसांख्यिकीय लाभांश को समझना:

- जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौरान, जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति (विशेष रूप से तीसरे चरण) में जब किसी देश की कार्यशील जनसंख्या (15-64 वर्ष) और आश्रित जनसंख्या (15 से कम एवं 64 वर्ष से अधिक) से अधिक हो जाती है, देखने को मिलती है ।
  - यह स्थिति आश्रित आबादी के सापेक्ष बड़े कार्यबल के कारण त्वरित आर्थिक विकास की संभावना उत्पन्न करती है।

भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन का महत्त्व:

- **आर्थिक विकास की संभावना:**
  - भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन इसकी बड़ी और युवा आबादी के कारण महत्त्वपूर्ण है। लगभग 29 वर्ष की औसत आयु के साथ, भारत विश्व स्तर पर सबसे युवा आबादी में से एक है।
  - यह जनसांख्यिकीय संरचना पर्याप्त जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कार्यबल में प्रवेश करता है, जिससे उत्पादकता और आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है।
- **बढ़ी हुई श्रम शक्ति:**
  - अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी कामकाजी उम्र वाली आबादी में से एक होगा, जो एक विशाल श्रम शक्ति प्रदान करेगा और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देगा।
  - इस जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग बढ़ी हुई खपत, बचत और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।
- **उत्पादकता को बढ़ावा:**
  - एक युवा आबादी नवाचार, उद्यमशीलता और तकनीकी प्रगति के माध्यम से उत्पादकता के स्तर को बढ़ा सकती है।

नोट :

- जनसांख्यिकीय लाभांश भारत के लिये शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार सृजन में निवेश करके अपनी मानव पूंजी का लाभ उठाने का अवसर उत्पन्न करता है, जिससे उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता का उच्च स्तर प्राप्त होता है।

- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:**
  - भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन वैश्विक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्रदान करता है। विविध कौशल और प्रतिभा वाला एक बड़ा कार्यबल विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है, व्यापार को बढ़ावा दे सकता है तथा वैश्विक बाज़ार में भारत की स्थिति को मज़बूत कर सकता है।
  - अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाते हुए, भारत सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवाओं जैसे उद्योगों में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में उभर सकता है।
- **सामाजिक विकास के अवसर:**
  - जनसांख्यिकीय लाभांश स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन सहित सामाजिक विकास पहल के लिये अवसर प्रस्तुत करता है।
  - मानव पूंजी विकास में निवेश करने से संपूर्ण समाज में समावेशी विकास और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकता है, जिससे सामाजिक एकजुटता एवं सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ और शमन रणनीतियाँ:

- **बेरोज़गारी और अल्परोज़गार:**
  - जनसांख्यिकीय लाभांश के बावजूद, भारत को विशेषकर युवाओं और महिलाओं के बीच बेरोज़गारी एवं अल्परोज़गार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - इस मुद्दे के समाधान के लिये, सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा:**
  - भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाने में एक और चुनौती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच है।
  - कार्यबल को आवश्यक कौशल युक्त बनाने, उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के बुनियादी ढाँचे, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश आवश्यक है।
- **समावेशी विकास नीतियाँ:**
  - मज़बूत समावेशी विकास नीतियों का अभाव संपूर्ण समाज में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लाभों के समान वितरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
  - हाशिये पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और ग्रामीण आबादी के लिये लक्षित हस्तक्षेप असमानताओं को दूर करने तथा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं।
- **सतत् विकास:**
  - सतत् विकास रणनीतियों का कार्यान्वयन अतिरिक्त चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिये पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण में बाधा उत्पन्न करती हैं।
  - नवीकरणीय ऊर्जा, सतत् कृषि और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना पर्यावरणीय अखंडता से समझौता किये बिना दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन त्वरित आर्थिक विकास, बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और सामाजिक विकास के लिये एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करके और लक्षित नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करके, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है तथा 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकता है।

प्रश्न: जलवायु परिवर्तन महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन को संबोधित करने में लैंगिक दृष्टि से ग्रहणशील नीतियों की भूमिका पर चर्चा करें। (250 शब्द)

How does climate change impact the lives of women? Discuss the role of gender-sensitive policies in addressing climate change mitigation and adaptation. (250 words)

उत्तर :

- हल करने का दृष्टिकोण:
- जलवायु परिवर्तन का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- महिलाओं के जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये।
- जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन को संबोधित करने में लैंगिक-संवेदनशील नीतियों की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान वृद्धि से हिम का तीव्रता के साथ पिघलना है, जिससे सागरीय स्तर बढ़ रहा है। जलवायु संकट "लैंगिक-तटस्थता" (Gender Neutral) नहीं है। महिलाएँ और लड़कियाँ जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े प्रभावों का अनुभव करती हैं, जो मौजूदा लैंगिक असमानताओं को बढ़ाती है और उनकी आजीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये अद्वितीय संकट उत्पन्न करती है।

मुख्य भाग:

जलवायु परिवर्तन का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव:

- **कृषि क्षेत्र में महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
  - **बढ़ती खाद्य असुरक्षा:**
    - महिलाएँ घरों और समुदायों में खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि फसल की विफलता, जल की कमी और वर्षा के पैटर्न में बदलाव महिलाओं की अपने परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता को सीधे प्रभावित कर सकते हैं।
    - चरम मौसमी घटनाओं और उसके बाद जल चक्र पैटर्न में बदलाव से सुरक्षित पेयजल तक पहुँच गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जिससे कठिन परिश्रम में वृद्धि हुई है, महिलाओं और लड़कियों के उत्पादक कार्य और स्वास्थ्य देखभाल के लिये समय कम हो जाता है।
  - **आर्थिक निहितार्थ:**
    - कृषि में महिलाओं के लिये जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव पर्याप्त हैं। बाढ़ और चरम मौसमी घटनाएँ फसलों और बुनियादी ढाँचे को तबाह कर सकती हैं, जिससे महिलाओं को परिवार की देखभाल और वैकल्पिक आय सृजन को प्राथमिकता देने के लिये मजबूर होना पड़ता है। चरम मौसमी घटनाओं के कारण फसल की उत्पादकता में कमी से आय में कमी आती है, जिससे मौजूदा लैंगिक असमानताओं में और वृद्धि हो जाती है।
- **लैंगिक हिंसा से प्रत्यक्षता:**
  - JAMA मनोचिकित्सा में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में दक्षिण एशिया में बढ़ते तापमान और बढ़ती अंतरंग साथी हिंसा (IPV) के बीच एक संबंध पाया गया है।
    - यदि औसत वार्षिक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो वर्ष 2090 तक IPV में अनुमानित 23.5% की वृद्धि के साथ भारत को सबसे अधिक प्रभावित होने की उम्मीद है। यह नेपाल (14.8%) और पाकिस्तान (5.9%) में अनुमानित वृद्धि से काफी अधिक है।
    - अध्ययन में यह भी पाया गया कि भारत में पूर्व में हुए प्रत्येक 1°C तापमान वृद्धि पर शारीरिक हिंसा में 8% की वृद्धि और यौन हिंसा में 7.3% की वृद्धि देखी जा रही है।
- **बाल विवाह की बढ़ती दर:**
  - विभिन्न देशों और क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों में बाल विवाह को आपदा की स्थिति से निपटने के साधन के रूप में देखा गया है, उदाहरण के लिये बाँग्लादेश, इथियोपिया और केन्या में धन या संपत्ति के साधन के रूप में।
  - महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में, जल की कमी ने पुरुषों को 'पानी बाई' (जल लेकर आने वाली पत्नियाँ) की तलाश करने के लिये प्रेरित किया है, जहाँ वे घर के लिये जल एकत्रित करने में मदद करने के लिये एक से अधिक महिलाओं से विवाह करते हैं।
- **लंबे समय तक चलने वाली गर्म लहरों और प्रदूषण का प्रभाव:**
  - पिछला दशक मानव इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है और भारत जैसे देशों को अभूतपूर्व गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक गर्मी गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष रूप से खतरनाक है (समय से पहले जन्म और एक्लम्पसिया (Eclampsia) का खतरा बढ़ जाता है)।
    - इसी तरह, वायु प्रदूषकों (घरेलू और बाहरी) के संपर्क में आने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी रोग होते हैं, साथ ही अजन्मे बच्चे का शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है।

जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन को संबोधित करने में लैंगिक-संवेदनशील नीतियों की भूमिका:

- **असमान कमज़ोरियों को कम करना:** महिलाएँ प्रायः जल संग्रहण, खाद्य सुरक्षा और घरेलू कल्याण के लिये ज़िम्मेदार होती हैं। जलवायु परिवर्तन इन क्षेत्रों को बाधित करता है, जिससे काम का बोझ, कुपोषण और महिलाओं के लिये स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, विश्व भर में महिलाएँ 75 प्रतिशत से अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं, जो पुरुषों की तुलना में 3.2 गुना अधिक है।

नोट :

- निर्णय लेने में महिलाओं को शामिल करने वाली नीतियाँ जलवायु परिवर्तन नीतियों को अपनाने में मदद कर सकती हैं और महिलाओं की आवश्यकताओं को लाभ पहुँचाकर शमन और अनुकूलन प्रयासों को मज़बूत कर सकती हैं।

- **परिवर्तनकारी अभिकर्मकों के रूप में महिलाएँ:** महिलाओं के पास संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक लचीलेपन पर मूल्यवान ज्ञान और दृष्टिकोण हैं। उन्हें सशक्त बनाने से जलवायु चुनौतियों से निपटने की हमारी सामूहिक क्षमता मज़बूत होती है।
  - भूटान ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ महिला संगठनों को लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन पहलों के समन्वय और कार्यान्वयन में सक्षम बनाने के लिये लैंगिक आधारित बिंदुओं को प्रशिक्षित किया है।
- **सशक्तीकरण और समानता:** लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, अधिक सामाजिक समानता को बढ़ावा देती हैं और समग्र रूप से अधिक लचीले समाज का निर्माण करती हैं। जब महिलाएँ उन्नति करती हैं, तो समुदाय उन्नति करते हैं।
  - चिली, युगांडा, लेबनान, कंबोडिया और जॉर्जिया जैसे देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) देने के संदर्भ में जलवायु कार्रवाई में लैंगिक विचारों को रणनीतिक रूप से एकीकृत करने पर प्रगति कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ एक रणनीतिक आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्त बनाकर और यह सुनिश्चित करके कि उनकी आवाज सुनी जाए, हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर कोई एक स्थायी और न्यायसंगत दुनिया में योगदान दे और लाभान्वित हो। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण है, जहाँ जलवायु कार्रवाई सभी के लिये काम करे।

भूगोल

प्रश्न: भू-आकृतियों को आकार देने में विवर्तनिकी गतिविधियों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। अपरदन एवं निक्षेपण क्रियाएँ, विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण में किस प्रकार योगदान देती हैं? (250 शब्द)

Discuss the role of tectonic activities in shaping landforms. How do erosion and deposition contribute to the formation of various geomorphic features? (250 Words)

उत्तर:

हल करने का दृष्टिकोण:
- विवर्तनिकी गतिविधियों के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भू-आकृतियों को आकार देने में विवर्तनिकी गतिविधियों की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- बताइये कि अपरदन एवं निक्षेपण जैसी क्रियाएँ, विभिन्न भू-आकृतिक विशेषताओं के निर्माण में किस प्रकार योगदान देती हैं।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

- पृथ्वी की लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति से प्रेरित विवर्तनिकी गतिविधियाँ, विश्व भर में भू-आकृतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन प्रक्रियाओं में भू-गर्भीय घटनाओं की विविध श्रृंखला जैसे- भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट तथा पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण शामिल है।

मुख्य भाग:

विवर्तनिकी गतिविधियाँ और भू-आकृति:

- **प्लेट विवर्तनिकी:**
  - पृथ्वी का स्थलमंडल कई बड़ी प्लेटों में विभाजित है जो अर्द्ध-तरल अवस्था वाले दुर्बलतामंडल पर तैरता है।
  - मेंटल संवहन जैसी प्रक्रियाओं द्वारा प्रेरित इन प्लेटों की गति क्षेपण, टकराव और विचलन जैसी विवर्तनिकी गतिविधियों का कारण बनती है।
- **पर्वतों का निर्माण:**
  - अभिसारी प्लेट सीमाएँ (जहाँ प्लेटें टकराती हैं) पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, विश्व की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला (हिमालय) भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है।
- **दरार घाटियाँ:**
  - अपसारी प्लेट सीमाओं (जहाँ प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं) पर दरार घाटियाँ बनाती हैं। पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ अफ्रीकी प्लेट छोटी प्लेटों में विभाजित हो रही है, जिससे ग्रेट रिफ्ट वैली जैसी दरार घाटियों का निर्माण हो रहा है।

नोट :

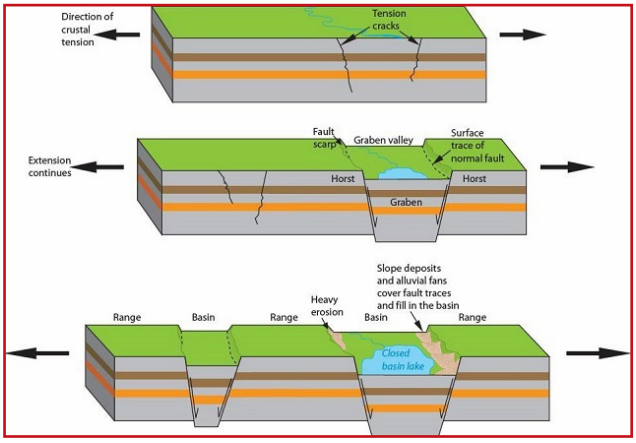

अपरदन एवं निक्षेपण प्रक्रियाएँ:

- **अपक्षय:**
  - अपक्षय (पृथ्वी की सतह पर या उसके निकट चट्टानों का टूटना), भू-आकृति विज्ञान में एक मूलभूत प्रक्रिया है।
  - यांत्रिक और रासायनिक अपक्षय से चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे उनका क्षरण आसान हो जाता है।
- **अपरदन:**
  - इसमें जल, वायु, बर्फ और गुरुत्वाकर्षण जैसे कारकों द्वारा अपक्षयित चट्टान का स्थानांतरण शामिल है।
  - नदियाँ, ग्लेशियर, वायु और लहरें ऐसी प्रमुख अपरदनकारी शक्तियाँ हैं जो समय के साथ स्थलाकृतिक परिदृश्य को आकार देती हैं।
- **निक्षेपण:**
  - जब अपरदित पदार्थ नए स्थानों पर एकत्रित हो जाते हैं तब इसे निक्षेपण कहा जाता है।
  - जमा हुई तलछट के संचय और संघनन से बनी तलछटी चट्टानें इन प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं।

भू-आकृतियों का निर्धारण:

- **नदी घाटियाँ और बाढ़ के मैदान:**
  - नदियों के प्रवाह से समय के साथ घाटियों और बाढ़ के मैदान बन जाते हैं।
  - बाढ़ के दौरान तलछट के जमाव से कृषि के संदर्भ में उपजाऊ मैदानों ज्वारनदमुख के निर्माण में योगदान मिलता है।
- **तटीय भू-आकृतियाँ:**
  - तटीय कटाव और निक्षेपण से समुद्र तटों एवं चट्टानों के साथ का निर्माण होता है।
  - उदाहरण के लिये, लहरों एवं धाराओं की क्षरणकारी क्रियाओं से समुद्र तटों के किनारे तटीय मेहराब बनते हैं।

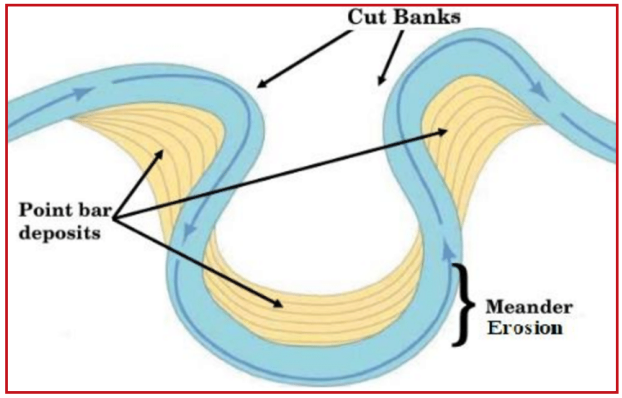

- **हिमनद भू-आकृतियाँ:**
  - ग्लेशियर, अपरदन के शक्तिशाली कारक हैं जिनसे सर्क, U-आकार की घाटियाँ और मोरेन जैसी भू-आकृतियाँ बनती हैं।
  - ग्लेशियरों में कमी आने से पूर्व की जलवायु परिस्थितियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती है।
- **कार्स्ट स्थलाकृति:**
  - कार्स्ट स्थलाकृति, जिसमें चूना पत्थर के क्षरण से गुफाओं, सिंकहोल एवं भूमिगत जल निकासी प्रणालियों का निर्माण शामिल है, रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं का परिणाम है।

निष्कर्ष:

विवर्तनिकी गतिविधियाँ, अपरदन तथा निक्षेपण परस्पर संबंधित प्रक्रियाएँ हैं जिनसे समय के साथ स्थलाकृतियों को आकार मिलता है। विशाल पर्वत शृंखलाओं से लेकर टेढ़ी-मेढ़ी नदी घाटियों के रूप में इन बलों की गतिशील परस्पर क्रिया द्वारा विविध भू-आकृतियों का निर्माण होता है।

संस्कृति

प्रश्न: सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में भारतीय शास्त्रीय संगीत की भूमिका पर चर्चा कीजिये। समाज पर इसके प्रभाव को उदाहरण सहित बताइये। (250 शब्द)

Discuss the role of classical Indian music in preserving cultural heritage and fostering national unity. Provide examples of its influence on society. (250 Words)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय शास्त्रीय संगीत का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- सांस्कृतिक विरासत तथा राष्ट्रीय एकता के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- समाज पर इसके प्रभाव को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शास्त्रीय भारतीय संगीत, संगीत का एक जटिल और प्राचीन रूप है जिसकी जड़ें हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ वेदों में निहित हैं, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व के हैं। इसे दो मुख्य परंपराओं में विभाजित किया गया है: हिंदुस्तानी संगीत, (जो उत्तर भारत में प्रचलित है) और कर्नाटक संगीत (जो दक्षिण भारत में लोकप्रिय) है।

मुख्य भाग:

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद जैसे प्राचीन ग्रंथों से हुई है, जो इसकी गहन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं भारतीय परंपराओं से संबंध को प्रदर्शित करता है।
- **ज्ञान का हस्तांतरण:** शास्त्रीय संगीत में गुरु-शिष्य परंपरा (शिक्षक-शिष्य परंपरा) की प्रमाणिकता को संरक्षित करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान एवं कौशल का हस्तांतरण सुनिश्चित हुआ है।
- **परंपरा को बनाए रखना:** शास्त्रीय संगीत में मज़बूत नियमों तथा परंपराओं (जैसे कि राग प्रणाली, जो पीढ़ियों से चली आ रही है) का पालन किया गया है, जिससे भारत की संगीत विरासत का संरक्षण सुनिश्चित हुआ है।
  - उदाहरण के लिये, मध्यकालीन भारत के भक्ति और सूफी संतों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते हुए, भक्ति गीतों (भजन) एवं कव्वालियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया।
  - इसी तरह आधुनिक समय के संगीतकार जैसे- ए.आर. रहमान और ज़ाकिर हुसैन द्वारा समकालीन शैलियों के साथ शास्त्रीय तत्त्वों का समावेश करने के क्रम में व्यापक दर्शकों तक पहुँच के माध्यम से पीढ़ीगत अंतराल को कम करने में भूमिका निभाई गई है।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना:

- **सांस्कृतिक एकता:** शास्त्रीय संगीत एक सामान्य सांस्कृतिक सूत्र के रूप में कार्य करते हुए विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करने में भूमिका निभाता है। इसकी क्षेत्रीय, भाषाई एवं धार्मिक बाधाओं को कम करने के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने में भूमिका है।
  - **राष्ट्रगान:** रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित भारतीय राष्ट्रगान, "जन गण मन", शास्त्रीय रागों पर आधारित है, जो राष्ट्रीय प्रतीकों के संदर्भ में शास्त्रीय संगीत के प्रभाव को दर्शाता है।
- **समावेशी प्रकृति:** शास्त्रीय संगीत में विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों एवं वाद्ययंत्रों का समायोजन शामिल है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का परिचायक है। इस समावेशिता से विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव तथा समन्वय को बढ़ावा मिलता है।
  - शास्त्रीय संगीत समारोह और सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव एवं चेन्नई संगीत सीज़न जैसे उत्सव विविध पृष्ठभूमि के कलाकारों तथा दर्शकों को एक साथ लाते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं समझ को बढ़ावा मिलता है।
- **विविधता में एकता:** शास्त्रीय संगीत द्वारा भारत में सांस्कृतिक विविधता में एकता को महत्त्व मिलता है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक जैसी विभिन्न शैलियाँ, भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती हैं।

समाज पर प्रभाव:

- **आध्यात्मिक और भावनात्मक उन्नयन:** शास्त्रीय संगीत को भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिये जाना जाता है। इससे लोगों का जीवन समृद्ध होने के साथ शांति एवं समन्वय की भावना को बढ़ावा मिलता है।
- **सामाजिक एकजुटता:** शास्त्रीय संगीत द्वारा अक्सर सामाजिक और धार्मिक समारोहों के एक अभिन्न अंग के रूप में समुदायों को एक साथ लाकर सामाजिक बंधनों को मज़बूत करने में भूमिका निभाई जाती है।
  - **सांस्कृतिक त्योहार:** शास्त्रीय संगीत सांस्कृतिक त्योहारों जैसे कि नवरात्रि, दिवाली एवं दुर्गा पूजा का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो भारतीय सांस्कृतिक समारोहों में इसकी अभिन्न भूमिका को प्रदर्शित करता है।
- **शैक्षिक मूल्य:** अपने कलात्मक मूल्य के अलावा, शास्त्रीय संगीत के शैक्षिक लाभ भी हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि संगीत सीखने से संज्ञानात्मक कौशल, स्मृति एवं एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

भारतीय शास्त्रीय संगीत द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के साथ समाज में समन्वय बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक एकजुटता का एक शक्तिशाली माध्यम है।

नोट :

प्रश्न: भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूपों की चर्चा कीजिये। ये देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? (250 शब्द)

What are the diverse forms of Indian folk paintings in India? How do they reflect the rich cultural heritage and socio-cultural diversity of the country? (250 words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारतीय लोक चित्रकला का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूपों का वर्णन कीजिये।
- वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार दर्शाते हैं, विश्लेषण कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय लोक चित्रकला, कला का एक जीवंत और विविध रूप है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। इसकी अनूठी शैलियों, तकनीकों और विषयों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों एवं समुदायों की कलात्मक परंपराओं का प्रदर्शन होता है।

मुख्य भाग:

भारतीय लोक चित्रकला के विविध रूप:

- **वर्ली पेंटिंग:**
  - वर्ली पेंटिंग भारतीय लोक कला के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति से हुई है।
  - इसमें शिकार, कृषि और मत्स्याग्रहण जैसे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित दृश्यों को चित्रित करने के लिये ज्यामितीय आकृतियों एवं सरल रेखाओं का उपयोग होता है।
- **मधुबनी पेंटिंग:**
  - मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला कला भी कहा जाता है, की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई है।
  - इन पेंटिंग में पौराणिक कहानियों और दैनिक जीवन के दृश्यों को बनाया जाता है तथा बोल्ड लाइनों एवं चमकीले रंगों का उपयोग करना इनकी विशेषता है।
- **पट्टचित्र पेंटिंग:**
  - पट्टचित्र पेंटिंग ओडिशा राज्य की एक पारंपरिक कला है। इसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है और जटिल विवरण एवं ज्वलंत रंगों के लिये जाना जाता है।
  - पट्टचित्र पेंटिंग में अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं एवं कहानियों को चित्रित किया जाता है तथा इसका धार्मिक समारोहों में उपयोग होता है।
- **गोंड पेंटिंग:**
  - इसका विकास मध्यप्रदेश में हुआ है। इसमें डॉट्स और रेखाएँ, जीवंत रंग तथा लोक कथाओं के साथ वनस्पतियों, जीवों, देवताओं, मिथकों एवं किंवदंतियों को दर्शाया जाता है।
- **भील पेंटिंग:**
  - भील पेंटिंग राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश की भील जनजाति में प्रचलित एक स्वदेशी कला है।
  - इसे बिंदुओं एवं रेखाओं का उपयोग करके जटिल पैटर्न और रूपांकनों को बनाने हेतु जाना जाता है।
  - इसमें प्राय: जानवरों, प्रकृति तथा आदिवासी जीवन को दर्शाया जाता है, जो भील समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं एवं मान्यताओं को दर्शाते है।
- **संथाल चित्रकला:**
  - संथाल पेंटिंग झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा की संथाल जनजाति के बीच प्रचलित एक पारंपरिक कला है।
  - संथाल पेंटिंग में प्राय: दैनिक जीवन, प्रकृति एवं आदिवासी रीति-रिवाज़ों के दृश्यों को बनाया जाता है, जो संथाल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत तथा सामाजिक जीवन को दर्शाती है।

सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब:

- **पारंपरिक विषय-वस्तु और रूपांकन:**
  - लोक चित्र अक्सर पारंपरिक विषयों और रूपांकनों को दर्शाते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों या समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।
  - इन विषयों में मिथकों, किंवदंतियों, अनुष्ठानों, त्योहारों और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण शामिल हो सकता है जो लोगों की सांस्कृतिक पहचान के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **क्षेत्रीय विविधता:**
  - भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोक चित्रकला की अपनी विशिष्ट शैलियाँ हैं, जो स्थानीय रीति-रिवाज़ों, परंपराओं और परिदृश्यों से प्रभावित हैं।
  - यह क्षेत्रीय विविधता देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है, जो संपूर्ण भारत में विभिन्न उदाहरण के लिये

नोट :

कलाकार बाँस के ब्रश या ताड़ के पत्तों जैसे पारंपरिक उपकरणों के साथ-साथ खनिजों, पौधों या मृदा से प्राप्त प्राकृतिक रंगद्रव्य का उपयोग कर सकते हैं।

- ये सामग्रियाँ और तकनीकें लोक चित्रों की प्रामाणिकता में योगदान करती हैं तथा उनके निर्माण से जुड़ी सांस्कृतिक प्रथाओं को उजागर करती हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता प्रतिबिंब:

- **दैनिक जीवन का चित्रण:**
  - लोक चित्रकलाएँ अक्सर दैनिक जीवन के दृश्यों को चित्रित करती हैं, जिसमें कृषि, मत्स्याग्रहण, शिकार और घरेलू कामकाज जैसी गतिविधियों को दर्शाया जाता है।
  - ये चित्रण संपूर्ण भारत में सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों की विविधता को प्रदर्शित करते हुए, विभिन्न समुदायों की सामाजिक-सांस्कृतिक प्रथाओं, व्यवसायों और जीवन शैली में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
- **सामुदायिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व:**
  - लोक चित्रकला अक्सर उन समुदायों के मूल्यों, विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं जो उन्हें बनाते हैं।
  - उदाहरण के लिये चित्रकला में परिवार, सामुदायिक एकजुटता, बड़ों के प्रति सम्मान एवं प्रकृति के प्रति आस्था जैसे विषयों को दर्शाया जा सकता है, जो विशिष्ट समूहों के भीतर प्रचलित सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक गतिशीलता की झलक प्रस्तुत करते हैं।
- **विविधता का उत्सव:**
  - लोक चित्रकला विषयों, शैलियों और कलात्मक परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करके भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य की विविधता को प्रदर्शित करती हैं।
  - मधुबनी पेंटिंग के जटिल पैटर्न से लेकर गोंड पेंटिंग की बोल्ड लाइनों तक, लोक चित्रकला का प्रत्येक रूप भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता में योगदान देता है, जो इसकी विरासत की समृद्धि और जटिलता को उजागर करता है।
- **सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण:**
  - लोक चित्रकला सांस्कृतिक पहचान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित और प्रसारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - पारंपरिक विषयों, रूपांकनों और तकनीकों को चित्रित करके, ये पेंटिंग सांस्कृतिक प्रथाओं एवं मान्यताओं के दृश्य अभिलेख के रूप में काम करती हैं, जिससे समुदायों को निरंतरता को बनाए रखने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष:

भारतीय लोक चित्रकलाएँ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब हैं। वे भारतीय कला की जीवंत और गतिशील प्रकृति को उजागर करते हुए विभिन्न समुदायों की कलात्मक परंपराओं, मान्यताओं एवं जीवन शैली का प्रदर्शन करते हैं। लोक चित्रकला न केवल कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने का एक साधन भी है।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न: क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने के क्रम में भारत की 'पड़ोसी प्रथम की नीति' के महत्त्व एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Discuss the significance and challenges of India's 'Neighbourhood First Policy' in fostering regional cooperation and addressing geopolitical dynamics. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- पड़ोसी प्रथम की नीति/नेबरहुड फर्स्ट नीति को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।
- भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने में भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' में निहित चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत की 'पड़ोसी प्रथम नीति' का उद्देश्य अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को मज़बूत करना है। हालाँकि यह नीति क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने में महत्त्वपूर्ण है लेकिन इससे संबंधित कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य भाग:

पड़ोस प्रथम नीति का महत्त्व :

- **सामरिक महत्त्व :**
  - भारत के पड़ोस में ऐसे देश शामिल हैं जो इसकी सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इन देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने से भारत की भू-राजनीतिक स्थिति एवं सुरक्षा में वृद्धि होगी।
  - व्यापार, सुरक्षा तथा कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग से हाल के वर्षों में भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार देखा गया है।
  - भूमि सीमा समझौता (LBA) और तीस्ता नदी जल-बँटवारा जैसे समझौते सफल द्विपक्षीय पहल के उदाहरण हैं।
- **व्यापार तथा आर्थिक अवसर:**
  - पड़ोसी देशों से निकटता के चलते व्यापार संबंधों के साथ आर्थिक अवसर मिलते हैं।
  - बेहतर सहयोग से व्यापार की मात्रा, निवेश प्रवाह तथा इसमें शामिल सभी पक्षों के लिये आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:**
  - पड़ोसी देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाने से आतंकवाद, उग्रवाद तथा सीमा पार अपराधों जैसी आम चुनौतियों का समाधान करके क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
  - सांस्कृतिक तथा लोगों से लोगों के बीच समन्वय को बढ़ावा:
  - भारत के अपने पड़ोसियों के साथ गहन सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक संबंध हैं। लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करने से आपसी समझ एवं विश्वास को बढ़ावा मिलता है, जिससे सतत् राजनयिक संबंधों का आधार तैयार होता है।

पड़ोसी प्रथम की नीति को लागू करने में चुनौतियाँ:

- **ऐतिहासिक तनाव:**
  - ऐतिहासिक संघर्ष एवं क्षेत्रीय विवाद, सहयोग को बढ़ावा देने में चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। देशों के बीच अविश्वास तथा तनाव से द्विपक्षीय संबंधों में बाधा आती है।
  - समन्वय के कई प्रयासों के बावजूद, सीमा पार आतंकवाद तथा कश्मीर जैसे मुद्दों के कारण भारत-पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।
  - इन विवादास्पद मुद्दों को हल करने में प्रगति की कमी, नेबरहुड फर्स्ट नीति की सीमाओं को उजागर करती है।
- **चीन का प्रभाव:**
  - भारत के पड़ोसी देश चीन का बढ़ता प्रभाव, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लिये चुनौती है।
  - पड़ोसी क्षेत्रों में बीजिंग के आर्थिक निवेश तथा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कारण अक्सर भारत के लिये चुनौतियाँ प्रस्तुत होने के साथ भू-राजनीतिक तनाव पैदा होता है।
- **आंतरिक अस्थिरताएँ:**
  - कई पड़ोसी देश राजनीतिक अशांति, जातीय संघर्ष एवं शासन संबंधी मुद्दों के रूप में आंतरिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ये आंतरिक चुनौतियाँ, स्थायी समन्वय के प्रयासों में बाधक बनती हैं।

नोट :

- **शक्ति असंतुलन:**
  - भारत के विस्तृत आकार एवं क्षमताओं को कभी-कभी छोटे पड़ोसियों द्वारा भय के रूप में देखा जाता है, जिससे भारतीय पहल एवं हस्तक्षेप में बाधा आती है।
- **बुनियादी ढाँचे का अभाव:**
  - कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण क्षेत्रीय एकीकरण प्रयासों में बाधा आती है।
  - बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) जैसी परियोजनाओं के माध्यम से देशों के बीच भौतिक कनेक्टिविटी में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है लेकिन इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ हैं।

चुनौतियों को हल करने की रणनीतियाँ:

- **राजनयिक समन्वय:**
  - देशों के बीच चिंताओं को दूर करने तथा विश्वास को बनाए रखने के लिये विभिन्न स्तरों पर निरंतर राजनयिक समन्वय आवश्यक है। नियमित उच्च-स्तरीय राजनयिक वार्ता से देशों के बीच ऐतिहासिक अविश्वास को दूर करने में मदद मिल सकती है।
  - दक्षिण एशिया में चीन की BRI परियोजनाओं, जैसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), से इस क्षेत्र में भारत के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
    - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहल के माध्यम से भारत की प्रतिक्रिया, वैकल्पिक विकास मॉडल के माध्यम से चीन के प्रभाव को संतुलित करने के प्रयासों को प्रदर्शित करती है।
- **आर्थिक सहयोग:**
  - आर्थिक सहयोग पर बल देने से देशों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कम हो सकती है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) जैसी पहल और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:**
  - सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षिक छात्रवृत्ति तथा पर्यटन के माध्यम से भारत को सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने तथा लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
- **बहुपक्षीय दृष्टिकोण:**
  - दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) जैसे बहुपक्षीय मंचों में शामिल होने से भारत को द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की सुविधा मिलती है।
- **संघर्ष समाधान तंत्र:**
  - संघर्ष समाधान तंत्र एवं विश्वास-निर्माण उपायों को प्राथमिकता देने से क्षेत्रीय विवादों तथा ऐतिहासिक शिकायतों का समाधान किया जा सकता है। लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने में विमर्श के महत्त्व को कम करके नहीं आँका जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने तथा दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने में प्रभावी है। इससे संबंधित चुनौतियों के बावजूद अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बढ़ाने के भारत के प्रयास इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता तथा विकास को बढ़ावा देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

प्रश्न: क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों पर अपने पड़ोसियों के साथ भारत के बदलते संबंधों के प्रभाव की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

Discuss the impact of India's changg ing relations with its neighbors on regional stability and India's foreign policy objectives. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के पड़ोस का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- क्षेत्रीय स्थिरता पर अपने पड़ोसियों के साथ भारत के बदलते संबंधों के प्रभाव का वर्णन कीजिये।
- विदेश नीति के उद्देश्यों पर अपने पड़ोसियों के साथ भारत के बदलते संबंधों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत के पड़ोस (जिसे अक्सर दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है) में ऐसे देश शामिल हैं जो भारत के साथ भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध साझा करते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा एवं आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव के कारण यह क्षेत्र भारत के लिये रणनीतिक महत्त्व का है।

नोट :

मुख्य भाग:

ऐतिहासिक संदर्भ:

- पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भू-राजनीतिक कारकों से आकार मिला है।
- स्वतंत्रता के बाद, भारत ने गुटनिरपेक्षता एवं क्षेत्रीय सहयोग पर बल देते हुए क्षेत्रीय नेतृत्व का लक्ष्य रखा।
- हालाँकि, सीमा विवाद तथा सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसी चुनौतियों के कारण कई बार इन संबंधों में तनाव आया है।

वर्तमान परिदृश्य:

- **चीन फैक्टर:** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी पहलों के माध्यम से दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत के लिये रणनीतिक चिंताओं को जन्म दिया है, जिससे क्षेत्रीय गतिशीलता प्रभावित हो रही है।
- **भारत-पाकिस्तान संबंध:** संघर्षों और आतंकवाद से प्रभावित भारत-पाकिस्तान संबंधों का क्षेत्रीय स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद कश्मीर जैसे मुद्दे अनसुलझे हैं।
- **बांग्लादेश:** बांग्लादेश के साथ बेहतर संबंधों से व्यापार एवं सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **श्रीलंका:** भारत-श्रीलंका संबंध जटिल रहे हैं, इसमें तमिल अधिकारों जैसे मुद्दे संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। हालाँकि, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हालिया सहयोग सकारात्मक विकास का संकेत देता है।
- **नेपाल:** नेपाल के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंधों में कालापानी सीमा विवाद आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत का जन-केंद्रित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य संबंधों को मज़बूत करना है।
- **भूटान:** भूटान के साथ मज़बूत ऐतिहासिक संबंधों को विकासात्मक सहयोग के माध्यम से मज़बूत किया गया है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान मिल रहा है।

क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** पाकिस्तान के साथ तनाव का क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है, विशेषकर परमाणु प्रसार और आतंकवाद के संबंध में।
- **चीन फैक्टर:** क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे जैसी पहल के माध्यम से, अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में जटिलता उत्पन्न करता है।
- **आर्थिक सहयोग:** पड़ोसियों के साथ बेहतर आर्थिक संबंध बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान आदि की साझा समृद्धि को बढ़ावा देकर स्थिरता को बढ़ावा देते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ:** सीमा पार आतंकवाद, अवैध व्यापार और पर्यावरणीय क्षरण जैसे मुद्दों के प्रभावी प्रबंधन के लिये क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:** भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और बॉलीवुड जैसी पहलों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, इस क्षेत्र में सद्भावना और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करती है।

भारत की विदेश नीति के उद्देश्य:

- **पड़ोसी प्रथम की नीति:** पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देना, क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **एक्ट ईस्ट पॉलिसी:** दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने से चीन के प्रभाव का मुकाबला होने के साथ भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति बढ़ती है।
- **सामरिक स्वायत्तता:** भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका, रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने पर बल देता है।
- **आर्थिक एकीकरण:** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) जैसी पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और विकास को बढ़ावा देना है।

नोट :

- **वैश्विक नेतृत्व:** UNSC में स्थायी सीट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक बड़ी भूमिका की आकांक्षा रखते हुए, पड़ोसियों के साथ भारत की सहभागिता एक जिम्मेदार वैश्विक अभिनेता के रूप में इसकी छवि में योगदान करती है।

आगे की राह:

- **सुरक्षा संबंधी दुविधाएँ:** बातचीत और सहयोग की अनिवार्यता के साथ सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करना एक चुनौती (खासकर कश्मीर जैसे संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में) बनी हुई है।
- **चीन का प्रभाव:** क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करने के लिये समान विचारधारा वाले देशों के साथ कूटनीतिक एवं रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता है।
- **घरेलू राजनीति:** नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में घरेलू राजनीतिक गतिशीलता द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकती है, जिसके लिये भारत के दृष्टिकोण में लचीलेपन और व्यावहारिकता की आवश्यकता है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** पड़ोसियों के बीच आर्थिक असमानताओं को दूर करना, सतत् विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण है, इसके लिये बुनियादी ढाँचे एवं क्षमता निर्माण में निवेश की आवश्यकता है।
- **ट्रैक II कूटनीति:** लोगों से लोगों के बीच संपर्क को मज़बूत करने के साथ ट्रैक II जैसी कूटनीतिक पहल आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देते हुए आधिकारिक वार्ताओं का पूरक बन सकती है।

निष्कर्ष:

अपने पड़ोसियों के साथ भारत के विकसित होते संबंधों का क्षेत्रीय स्थिरता तथा इसकी विदेश नीति के उद्देश्यों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हालाँकि इससे संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं लेकिन सक्रिय सहभागिता, संवाद एवं सहयोग से आपसी हितों को बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि के लिये अनुकूल वातावरण बन सकता है।

प्रश्न: द्विपक्षीय एवं वैश्विक समूहों में भारत की भागीदारी के इसके राष्ट्रीय हितों से संबंधित महत्त्व एवं प्रभाव पर उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Discuss the significance and impact of India's participation in bilateral and global groupings on its national interests, with suitable examples. (250 Words)

उत्तर :

निरंतर रूप से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिये रणनीतिक रूप से द्विपक्षीय और वैश्विक समूहों के एक जटिल जाल को नेविगेट करता है। इन संघों के माध्यम से भारत अपने बढ़ते प्रभाव का लाभ उठाने और ऐसी साझेदारियाँ बनाने में सक्षम हुआ है जो इसके मूल मूल्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप हों।

द्विपक्षीय समूहों में भारत की भागीदारी का महत्त्व:

- **रणनीतिक साझेदारी सुरक्षित करना:** अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चतुर्भुज सुरक्षा संवाद समुद्री सहयोग को बढ़ावा देता है तथा भारत-प्रशांत में संभावित विरोधियों को रोकता है।
  - वर्ष 2024 में **मालाबार नौसैनिक अभ्यास** ने इस बढ़ते सैन्य सहयोग को प्रदर्शित किया।
- **आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)** के साथ भारत के हालिया मुक्त व्यापार समझौते तरजीही बाज़ार पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे अगले पाँच वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी (भारत सरकार के अनुमान के अनुसार)।
- **तकनीकी सहयोग बढ़ाना:** वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया **US-इंडिया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इनिशिएटिव (iCET),** महत्त्वपूर्ण रूप से सुरक्षित, सुलभ और लचीली प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र एवं मूल्य शृंखला का निर्माण करेगा।
- **संयुक्त अवसंरचना विकास: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC)** भारत को खाड़ी के माध्यम से यूरोप से जोड़ेगा। जिसका उद्देश्य आर्थिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान: ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)** समूह सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है, यह लोगों से लोगों के बीच संबंध तथा आपसी समझ को बढ़ावा देता है।

वैश्विक समूहों का प्रभाव:

- **वैश्विक मानदंडों को आकार देना: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन** में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों का उदाहरण देती है, जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे को प्रभावित करती है।
- **बाज़ार पहुँच का विस्तार: विश्व व्यापार संगठन (WTO)** में सदस्यता भारत को निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं पर बातचीत करने और अपने निर्यात के लिये व्यापक बाज़ारों तक पहुँच बनाने के लिये एक मंच प्रदान करती है।
- **वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करना: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** में भागीदारी भारत को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और महामारी संबंधी तैयारियों जैसे मुद्दों पर अन्य देशों के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है।

नोट :

- **सतत् विकास को बढ़ावा देना: जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते** में भारत की सक्रिय भागीदारी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत् विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को प्रभावित करना: ग्लोबल साउथ** के नेतृत्वकर्त्ता के रूप में भारत का बढ़ता प्रभाव इसे वित्तीय स्थिरता और ऋण प्रबंधन, जलवायु शमन आदि जैसे वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा को आकार देने की अनुमति देता है।

चुनौतियाँ और विचार:

- **प्रतिस्पर्द्धी हितों को संतुलित करना:** अमेरिका और रूस जैसी प्रमुख शक्तियों, जिनके परस्पर विरोधी हित हो सकते हैं, के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है।
  - यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में हुए मतदान से भारत का अनुपस्थित रहना इस दिशा में संतुलनकारी कार्य का उदाहरण है।
- **व्यापार सौदों पर बातचीत:** शक्तिशाली आर्थिक गुटों के साथ जटिल व्यापार समझौतों में अनुकूल शर्तों पर बातचीत करना समय लेने वाला हो सकता है और इसके लिये सावधानीपूर्वक रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है।
  - यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते के लिये चल रही बातचीत इस चुनौती को उजागर करती है।
- **आंतरिक दबावों का प्रबंधन:** व्यापार उदारीकरण के लाभों के साथ घरेलू उद्योगों के हितों को संतुलित करना एक कठिन कदम हो सकता है।
  - भारत सरकार को फार्मास्यूटिकल्स जैसे कुछ क्षेत्रों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है जो मुक्त व्यापार समझौतों से प्रभावित हो सकते हैं।
- इन चुनौतियों से पार पाने के लिये भारत को **STRIDE** की आवश्यकता है:
- S- रणनीतिक कूटनीति: प्रतिस्पर्द्धी हितों को संतुलित करना
- T- व्यापार वार्ता: जटिल व्यापार सौदों को संभालना
- R- संबंध प्रबंधन: प्रमुख शक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना
- I - आंतरिक दबाव: घरेलू उद्योग की मांगों का प्रबंधन
- D- कूटनीतिक चपलता: वैश्विक गतिशीलता को नेविगेट करना
- E- आर्थिक रणनीति: व्यापार उदारीकरण के लिये रणनीति बनाना
- इन व्यस्तताओं ने न केवल वसुधैव कुटुंबकम् के आदर्शों के माध्यम से दुनिया को एक परिवार मानने वाले **भारत की राजनयिक स्थिति को बढ़ाया है, बल्कि आर्थिक विकास, सुरक्षा और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय हितों की उन्नति** को भी सुविधाजनक बनाया है।

राजव्यवस्था

प्रश्न: भारत में स्वतंत्रता के पश्चात केंद्र-राज्य संबंधों के विकास पर चर्चा कीजिये। संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक व्याख्याओं ने इन संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है? (250 शब्द)

Discuss the evolution of Centre-State relations in India since independence. How have constitutional provisions and judicial interpretations influenced these relations? (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में केंद्र-राज्य संबंधों का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के विकास पर चर्चा कीजिये।
- इन संबंधों को प्रभावित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक व्याख्याओं पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में स्वतंत्रता के बाद केंद्र-राज्य संबंध निर्णायक रूप से विकसित हुए हैं, जो ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाते हैं। भारत के संविधान द्वारा 7वीं अनुसूची और उसके बाद की न्यायिक व्याख्याओं जैसे प्रावधानों के माध्यम से, इन संबंधों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

मुख्य भाग:

केंद्र-राज्य संबंधों का विकास:

- **स्वतंत्रता-पूर्व काल:**
  - ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत एकात्मक राज्य था जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण था।
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के लिये अलग-अलग शक्तियों के साथ संघीय विशेषताओं को लागू किया गया, जिससे भविष्य के केंद्र-राज्य संबंधों की नींव रखी गई।

नोट :

- **स्वतंत्रता के बाद की अवधि (1947-1966):**
  - भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने भारतीय संविधान का आधार तैयार किया, जिसमें एक मज़बूत केंद्र के साथ संघीय ढाँचे को अपनाया गया।
  - संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किया गया, जिसमें तीन सूचियाँ- संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची शामिल हैं।
- **नेहरूवादी काल (1947-1964):**
  - जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिये एक मज़बूत केंद्र की वकालत की।
  - योजना आयोग की स्थापना, आर्थिक नियोजन को बढ़ावा देने के लिये की गई थी, जिससे आर्थिक निर्णय लेने का केंद्रीकरण हुआ।
- **भाषाई पुनर्गठन का काल (1956-1966):**
  - वर्ष 1953 में सरकार ने भाषाई आधार पर विभिन्न राज्यों की विभाजन की मांगों की जाँच और समाधान करने के लिये फज़ल अली आयोग का गठन किया था।
  - इस आयोग की सिफारिश के आधार पर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 प्रस्तुत किया गया, जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन में महत्त्वपूर्ण कदम था।
  - इस अवधि में भाषाई राज्यों तथा केंद्र के बीच भाषा, संस्कृति एवं पहचान के मुद्दों पर तनाव देखा गया।
- **राजनीतिक उथल-पुथल की अवधि (1967-1984):**
  - वर्ष 1967 के आम चुनावों के परिणामस्वरूप कई राज्यों में गैर-कॉन्ग्रेसी सरकारों का उदय हुआ, जिससे केंद्र-राज्य की गतिशीलता में बदलाव आया।
  - सरकारिया आयोग (1983) का गठन, सहकारी संघवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए केंद्र-राज्य संबंधों में बदलावों की जाँच और सिफारिश करने के लिये किया गया था।
- **आर्थिक सुधारों का काल (1991-वर्तमान):**
  - वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण के कारण केंद्र एवं राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों में बदलाव आया।
  - वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन ने सहकारी संघवाद की ओर बदलाव का संकेत दिया।

संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक व्याख्याओं का प्रभाव:

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - अनुच्छेद 245-255 केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों को परिभाषित करते हुए शक्तियों का विभाजन सुनिश्चित करते हैं।
  - अनुच्छेद 256-263 में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा समन्वय पर बल देते हुए कार्यकारी संबंधों का विवरण शामिल है।
  - अनुच्छेद 356 संवैधानिक विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है।
- **न्यायिक व्याख्याएँ:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और स्पष्टीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) जैसे ऐतिहासिक मामले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग और राज्यों की स्वायत्तता के संबंध में सिद्धांत स्थापित किये हैं।
  - **समसामयिक मुद्दे एवं सुझाव:**
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST):** GST का कार्यान्वयन राजकोषीय संघवाद में महत्त्वपूर्ण बदलाव का संकेतक है, जिसका लक्ष्य कराधान को सुव्यवस्थित करना है, लेकिन इसके साथ ही राजस्व बँटवारे एवं राज्यों की स्वायत्तता पर बहस भी शुरू हो गई है।
- **अंतर-राज्यीय जल विवाद:** जल, राज्य का विषय है, नदी जल-बँटवारे पर विवाद से केंद्र-राज्य संबंधों में जटिलताएँ बढ़ी हैं, जिनके समाधान के लिये अक्सर केंद्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन:** आतंकवाद एवं आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर केंद्र तथा राज्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे कभी-कभी अधिकार क्षेत्र तथा नियंत्रण के संबंध में तनाव पैदा हो जाता है।

निष्कर्ष:

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों का विकास ऐतिहासिक, राजनीतिक और संवैधानिक कारकों से प्रभावित एक गतिशील प्रक्रिया को दर्शाता है। संविधान ने इन संबंधों के लिये एक रूपरेखा प्रदान की है लेकिन न्यायिक व्याख्याओं ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति की सीमाओं को स्पष्ट तथा परिभाषित करने में मदद की है। चूँकि भारत एक संघीय लोकतंत्र के रूप में विकसित हो रहा है, इसलिये यह आवश्यक है।

प्रश्न: सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा असमानता को कम करने में भारत की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Assess the effectiveness of India's flagship welfare schemes in promoting social justice and reducing inequality. Discuss with examples. (250 Words)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सामाजिक न्याय का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारत की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का वर्णन कीजिये।
- असमानता को कम करने में कल्याणकारी योजनाओं की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा असमानता को कम करने में सहायक रही हैं। हाशिये पर मौजूद समुदायों के उत्थान तथा समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन योजनाओं ने विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्य भाग:

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा असमानता को कम करने में प्रभावशीलता:

1. गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ने ग्रामीण भारत में 100 दिनों की गारंटी वाले अकुशल कार्य के अधिकार-आधारित ढाँचे के साथ लाखों ग्रामीण परिवारों को रोज़गार के अवसर प्रदान किये हैं, जिससे गरीबी कम होने के साथ आजीविका में सुधार हुआ है।
- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, मनरेगा से गरीबी दर में कमी आने के साथ ग्रामीण स्तर पर उपभोग में वृद्धि हुई है।
- उदाहरण: मनरेगा ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों को आजीविका सहायता प्रदान की, जिससे गहन आर्थिक संकट को रोका जा सका।

2. खाद्य सुरक्षा बढ़ाना:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का लक्ष्य दो-तिहाई आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।
- NFSA ने विशेष रूप से कमज़ोर समूहों के लिये खाद्य सुरक्षा एवं पोषण परिणामों में सुधार किया है।
- उदाहरण: आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पौष्टिक भोजन के प्रावधान से बच्चों में कुपोषण को कम करने में मदद मिली है।

3. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार:

- आयुष्मान भारत योजना, जिसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) शामिल है, जिसका उद्देश्य कमज़ोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है।
- PMJAY ने लाखों लोगों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को आसान बना दिया है, जिससे चिकित्सा खर्चों का वित्तीय बोझ कम हो गया है।
- उदाहरण: PMJAY द्वारा दूरदराज के गाँव में परिवारों के चिकित्सा खर्चों को कवर किया गया, जिससे वे जीवन रक्षक उपचार का खर्च वहन करने में सक्षम हुए।

4. महिलाओं को सशक्त बनाना:

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना (PMMVY) जैसी योजनाओं का उद्देश्य समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है।
- BBBP ने बालिकाओं के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ कुछ क्षेत्रों में लिंग अनुपात में सुधार में योगदान दिया है।
- **उदाहरण:** PMMVY गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं तथा पोषण तक पहुँच प्राप्त होती है।

5. शिक्षा को बढ़ावा देना:

- सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और मध्याह्न भोजन योजना (MDMS) का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाना है।
- SSA के कारण स्कूल में नामांकन दर में वृद्धि (खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच) हुई है।
- **उदाहरण:** MDMS ने बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार किया है तथा इससे स्कूलों में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहन मिला है।

6. आवास और बुनियादी ढाँचे की ज़रूरतों को हल करना:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
- PMAY ने बेघरों और अपर्याप्त आवास स्थितियों में रहने वाले लोगों के लिये घरों के निर्माण की सुविधा प्रदान की है।
- **उदाहरण:** PMAY-ग्रामीण ने ग्रामीण परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराए हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष:

भारत की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने तथा असमानता को कम करने में प्रभावी रही हैं। इन योजनाओं ने न केवल लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया है बल्कि देश के समग्र विकास में भी योगदान दिया है। हालाँकि यह सुनिश्चित करने के लिये निरंतर मूल्यांकन और सुधार की आवश्यकता है कि ये योजनाएँ इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचें तथा अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें।

नोट :

प्रश्न: क्षेत्रीय पुनर्गठन के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के महत्त्व को बताते हुए संघवाद पर इसके निहितार्थ की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Discuss the significance of Article 3 of the Indian Constitution in the context of territorial reorganization and its implications for federalism. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 का परिचय देते हुए उत्तर शुरू कीजिये।
- क्षेत्रीय पुनर्गठन के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- भारतीय संघवाद के लिये अनुच्छेद 3 के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य का निर्माण करने, मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने या दो या दो से अधिक राज्यों का विलय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद भारत की क्षेत्रीय अखंडता एवं संघीय ढाँचे को प्रभावित करने के रूप में महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

अनुच्छेद 3 का महत्त्व :

- **प्रादेशिक पुनर्गठन:**
  - अनुच्छेद 3 प्रशासनिक, भाषाई, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विचारों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन विशिष्ट सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कारकों के कारण एक अलग राज्य की मांग पर आधारित था।
- **क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बढ़ावा मिलना:**
  - इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पहचान एवं महत्त्व मिलता है।
  - झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड जैसे राज्यों के गठन ने आदिवासी एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों की अलग राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया।
- **प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि:**
  - अनुच्छेद 3 के तहत क्षेत्रीय पुनर्गठन से प्रशासनिक दक्षता के साथ शासन में सुधार हो सकता है।
  - छोटे राज्य अक्सर स्थानीय ज़रूरतों के प्रति अधिक प्रबंधनीय और उत्तरदायी होते हैं, जिससे सेवाओं की बेहतर डिलीवरी होती है।
- **अनेकता में एकता को बढ़ावा मिलना:**
  - राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में अनुच्छेद 3 से विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान एवं संस्कृतियों को पहचान मिलने से विविधता में एकता सुनिश्चित होती है।
  - पूर्वोत्तर में विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन (जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिज़ोरम), जातीय एवं सांस्कृतिक विविधता को समायोजित करने के क्रम में अनुच्छेद 3 के अनुप्रयोग को दर्शाता है।
- **संघीय ढाँचे में लचीलापन:**
  - अनुच्छेद 3 लोगों की उभरती ज़रूरतों तथा आकांक्षाओं के अनुसार राज्य की सीमाओं में बदलाव की अनुमति देकर संघीय ढाँचे में लचीलापन प्रदान करता है। यह लचीलापन नई सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं एवं चुनौतियों को हल करने में सहायक है।

संघवाद के लिये निहितार्थ:

- **केंद्र को एकतरफा शक्तियाँ:**
  - अनुच्छेद 3 राज्य की सीमाओं में किसी भी बदलाव के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता के द्वारा राज्यों पर केंद्र को एकतरफा शक्तियाँ प्रदान करता है।
- **नियंत्रण एवं संतुलन:**
  - राज्य विधानमंडलों के दृष्टिकोण पर विचार करने का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्गठन मनमाना नहीं है तथा इसमें संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का सम्मान किया जाता है। इससे केंद्र सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण मिलता है।
- **एकता का संरक्षण:**
  - पुनर्गठन का अधिकार देने के क्रम में अनुच्छेद 3 में देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के महत्त्व पर भी बल दिया गया है।
  - इसमें निहित है कि राज्य की सीमाओं में कोई भी बदलाव राष्ट्रीय हित में होना चाहिये तथा इससे लोगों के कल्याण को बढ़ावा मिलना चाहिये।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:**
  - अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति की सहमति तथा संबंधित राज्यों के साथ परामर्श की आवश्यकता जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

नोट :

- ये सुरक्षा उपाय जल्दबाज़ी या राजनीति से प्रेरित राज्य पुनर्गठन के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- **न्यायिक समीक्षा:**
  - सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 3 के तहत किये गए कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इससे संघवाद के सिद्धांतों के साथ मूल ढाँचे का उल्लंघन न हो।

निष्कर्ष:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संघीय सिद्धांतों के संरक्षण के साथ प्रशासनिक दक्षता की आवश्यकता को संतुलित करते हुए, राज्यों के क्षेत्रीय पुनर्गठन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका महत्त्व भारत की एकता तथा अखंडता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को समायोजित करने की क्षमता में निहित है।

प्रश्न: भारत में सेवा वितरण तथा पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के क्रम में ई-गवर्नेंस की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इससे शासन में नागरिक भागीदारी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? (250 शब्द)

Discuss the role of e-Governance in improving service delivery and transparency in India. How can it enhance citizen participation in governance? (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- ई-गवर्नेंस के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में सेवा वितरण तथा पारदर्शिता में सुधार हेतु ई-गवर्नेंस की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- मूल्यांकन कीजिये कि इससे शासन में नागरिक भागीदारी को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ई-गवर्नेंस के तहत सरकारी दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रौद्योगिकियों को महत्त्व दिया जा रहा है। इससे सेवा वितरण, पारदर्शिता तथा नागरिक भागीदारी के संबंध में महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

मुख्य भाग:

सेवा वितरण तथा पारदर्शिता में सुधार हेतु ई-गवर्नेंस की भूमिका:

- **सेवा वितरण में सुधार:**
  - ई-गवर्नेंस से प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित होने के साथ नौकरशाही बाधाओं में कमी एवं सेवा वितरण तंत्र की दक्षता में सुधार हुआ है।
  - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP) एवं डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने सरकारी सेवाओं को डिजिटल बना दिया है, जिससे देश भर के नागरिकों के लिये यह अधिक सुलभ हो गई हैं।
  - उदाहरण के लिये, डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म से नागरिकों को अपने दस्तावेज़ों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन संग्रहीत करने तथा साझा करने की सुविधा मिली है, जिससे कागज़ी कार्रवाई की आवश्यकता कम होने के साथ सेवा वितरण में गति आई है।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:**
  - ई-गवर्नेंस पहल ने सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाकर तथा नागरिकों के लिये सूचनाओं को सुलभ बनाकर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है।
  - सूचना का अधिकार (RTI) ऑनलाइन पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुँचने में सक्षम बनाने एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के साथ भ्रष्टाचार को कम करने में भूमिका निभाते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, ई-खरीद जैसी पहल ने सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ भ्रष्टाचार के अवसरों को कम किया है तथा विक्रेताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित की है।

शासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना:

- **नागरिक भागीदारी:**
  - ई-गवर्नेंस से विभिन्न चैनलों के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुलभ हुई है।
  - ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल नागरिकों को शिकायतें दर्ज करने और लोगों को सरकारी अधिकारियों से सीधे समाधान मांगने के लिये सशक्त बनाते हैं, जिससे जवाबदेहिता में वृद्धि होती है।
  - इसके अलावा नागरिक समन्वय के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं मोबाइल एप्लिकेशन का व्यापक उपयोग हो रहा है, जिससे नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया एवं विमर्श संभव हो रहा है।
- **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना:**
  - ई-गवर्नेंस की समावेशिता तथा नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के क्रम में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

नोट :

- ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली (हालाँकि भारत में अभी भी यह प्रायोगिक चरण में है) में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की क्षमता है, जिससे यह सभी नागरिकों के लिये अधिक सुलभ हो जाएगी।

- आधार बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि ई-गवर्नेंस से सेवा वितरण के साथ पारदर्शिता में किस प्रकार क्रांति आ सकती है।
  - आधार ने सरकारी सेवाओं तथा सब्सिडी तक पहुँच की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जिससे लोक कल्याण कार्यक्रमों में रिसाव को कम किया जा सकता है।

- **शहरी-ग्रामीण अंतराल को कम करना:**
  - ई-गवर्नेंस पहल ने डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से दूरदराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को कम करने में मदद की है।
  - कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) जैसी परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा तथा सरकारी दस्तावेज़ जारी करने जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष:

भारत में सेवा वितरण, पारदर्शिता तथा नागरिक भागीदारी में सुधार के लिये ई-गवर्नेंस एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा नागरिक समन्वय को बढ़ावा देने के क्रम में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, ई-गवर्नेंस द्वारा सुशासन स्थापित करने के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मज़बूत किया जा सकता है।

प्रश्न : भारतीय, अमेरिका और ब्रिटेन के संवैधानिक ढाँचे में शक्तियों के पृथक्करण, संघीय ढाँचे और न्यायिक पुनरावलोकन तंत्र की तुलना कीजिये तथा इनके बीच अंतर बताइये। इनके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

Compare and contrast the separation of powers, federal structure, and judicial review mechanisms in the Indian, US, and UK constitutional frameworks. Analyze their implications. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के संवैधानिक ढाँचे का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत, अमेरिका और ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्करण, संघीय ढांचे और न्यायिक समीक्षा तंत्र की तुलना कीजिये।
- शक्तियों के पृथक्करण, संघीय ढाँचे और न्यायिक समीक्षा तंत्र के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिए।

परिचय:

विभिन्न देशों के संवैधानिक शासन में शक्तियों का पृथक्करण, संघीय संरचना और न्यायिक समीक्षा मूलभूत सिद्धांत हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) और यूनाइटेड किंगडम (UK) में इन सिद्धांतों की अलग-अलग रूपरेखाएँ हैं, जिससे उनकी राजनीतिक प्रणाली और शासन को आकार मिलता है।

मुख्य भाग:

शक्तियों का पृथक्करण:

- **भारत:**
  - भारत का संविधान शक्तियों के सम्मिश्रण के साथ संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली का प्रतीक है।
  - संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण की परिकल्पना की गई है, संसदीय प्रणाली के कारण कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच काफी ओवरलैपिंग देखने को मिलती है।
  - राष्ट्रपति (जो राज्य का प्रमुख होता है) के पास कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - अमेरिकी संविधान में विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण है। संविधान में उल्लिखित प्रत्येक शाखा की अपनी अलग शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ हैं।
  - इस पृथक्करण को जाँच और संतुलन की प्रणाली द्वारा सुदृढ़ किया जाता है, जहाँ प्रत्येक शाखा को किसी एक शाखा को बहुत शक्तिशाली होने से रोकने के लिये अन्य शाखाओं की शक्तियों के विनियमन का अधिकार होता है।
- **यूके:**
  - अमेरिका के विपरीत, ब्रिटेन में कोई संहिताबद्ध संविधान नहीं है, लेकिन यह संसदीय संप्रभुता की प्रणाली के तहत कार्य करता है।

नोट :

- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के नाममात्र पृथक्करण के साथ शक्तियों का एकीकरण अधिक स्पष्ट है।
- प्रधानमंत्री, जो सरकार का मुखिया होता है, विधायिका (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य भी होता है। इससे कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच की रेखा अस्पष्ट होती है।

संघीय संरचना:

- **भारत:**
  - भारत एक मज़बूत केंद्र सरकार वाला एक संघीय देश है। संविधान में संघ (केंद्रीय) सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन है।
  - हालाँकि, भारतीय संघीय संरचना में केंद्रीकरण की ओर झुकाव है, जिसमें केंद्र सरकार के पास राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ हैं, विशेष रूप से रक्षा, विदेशी मामले और वित्त जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय गणराज्य है जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है।
  - शक्तियों का यह विभाजन एक मज़बूत केंद्र सरकार के साथ राज्य की स्वायत्तता हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- **यूके:**
  - यूके में सरकार की एकात्मक प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि शक्ति राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित है, तथा स्थानीय संस्थाओं को थोड़ी ही स्वायत्तता प्राप्त है।
- स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अलग-अलग विधायी शक्ति की सरकारें हैं लेकिन अंतिम अधिकार अभी भी वेस्टमिंस्टर, यूके संसद के पास है।

न्यायिक समीक्षा की प्रणाली:

- **भारत:**
  - न्यायिक समीक्षा, भारत के संवैधानिक ढांचे का अभिन्न अंग है जो सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता तथा कार्यपालिका द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक फैसले दिये हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र तथा शासन की दिशा को आकार दिया है।
- **अमेरिका:**
  - अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को मुख्य रूप से न्यायिक समीक्षा के अधिकार के कारण विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायिक निकायों में से एक माना जाता है।
  - न्यायालय के पास कॉन्ग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों या राष्ट्रपति द्वारा किये गए कार्यों को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है।
  - यह शक्ति सरकार की अन्य शाखाओं पर नियंत्रण का कार्य करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे संविधान की सीमा के तहत कार्य करें।
- **यूके:**
  - भारत और अमेरिका के विपरीत, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा के लिये स्पष्ट प्रावधानों वाला कोई संहिताबद्ध संविधान नहीं है।
  - हालाँकि, संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत यूके के न्यायालयों को यूरोपीय संघ के कानून और मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन के साथ कानूनों की अनुकूलता की समीक्षा करने की अनुमति देता है।
  - इसके बावजूद, संसदीय सर्वोच्चता यूके के संवैधानिक ढाँचे की एक परिभाषित विशेषता बनी हुई है।

प्रभाव:

- **भारत:**
  - भारत के संसदीय लोकतंत्र में लचीलापन देखने को मिलता है लेकिन इससे जवाबदेहिता और कार्यपालिका के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण से संबंधित मुद्दे पैदा हो सकते हैं।
  - संघीय ढाँचा में क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ केंद्रीय प्राधिकरण को संतुलित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अंतर-राज्य विवाद तथा केंद्र-राज्य संबंध जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं।
- **अमेरिका:**
  - अमेरिका में, शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन की मज़बूत प्रणाली से राजनीतिक स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा में योगदान मिला है।
  - हालाँकि, सरकार की शाखाओं के बीच गतिरोध और ध्रुवीकरण प्रभावी शासन में बाधा बन सकता है।
- **यूके:**
  - यूके में शक्तियों का एकीकरण और संहिताबद्ध संविधान की कमी, मज़बूत कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करती है, लेकिन इससे लोकतांत्रिक जवाबदेहिता और अधिकारों की सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ती हैं, खासकर स्पष्ट न्यायिक समीक्षा प्रावधानों के अभाव में।

नोट :

निष्कर्ष:

शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद तथा न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत संवैधानिक शासन के लिये मूलभूत हैं, उनका कार्यान्वयन भारत, अमेरिका और यूके में काफी भिन्न है। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था की मज़बूती और कमज़ोरियों का विश्लेषण करने के लिये इन मतभेदों एवं उनके निहितार्थों को समझना महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न: शासन में वैधानिक, नियामक तथा अर्द्ध-न्यायिक निकायों की भूमिकाओं एवं महत्त्व पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिये तथा लोक प्रशासन के संबंध में उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द)

Discuss the significance of judicial review in upholding the principles of the Constitution. Provide examples highlighting its role in India's democratic framework. (250 Words)

उत्तर :

प्रभावी लोकतंत्र **सुव्यवस्थित शासन तंत्र** पर निर्भर करता है। भारत में **विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका** से परे, वैधानिक, नियामक एवं अर्द्ध-न्यायिक निकायों का एक नेटवर्क लोक प्रशासन को आकार देने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने तथा प्रणाली के भीतर नियंत्रण व संतुलन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वैधानिक निकाय:

- **भूमिका:** वे संसद या राज्य विधानसभाओं के एक अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं और संबंधित अधिनियमों से अपना अधिकार प्राप्त करते हैं।
  - इन निकायों को विशिष्ट कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं तथा उनकी शक्तियों को कानूनी ढाँचे के भीतर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- **महत्त्व:** वे लोक प्रशासन में विशेष विशेषज्ञता लाते हैं, दक्षता में सुधार करते हैं और विधायी मंशा का पालन सुनिश्चित करते हैं।
- **उदाहरण:**
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934)**
  - **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) (सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952)**
  - **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993)**

नियामक निकाय:

- **भूमिका:** ये निकाय प्राय: वैधानिक निकायों के उपसमूह होते हैं जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र के भीतर **नियम बनाने** और उनके कार्यान्वयन की देख-रेख करने का काम सौंपा जाता है। वे अनुपालन न करने पर जुर्माना लगा सकते हैं।
- **महत्त्व:** नियामक निकाय समान अवसर सुनिश्चित करते हैं, उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हैं और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं।
- **उदाहरण:**
  - **भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)** दूरसंचार क्षेत्र को नियंत्रित करता है, टैरिफ निर्धारित करता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करता है।
  - **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों को नियंत्रित करता है।

अर्द्ध-न्यायिक निकाय:

- **भूमिका:** ये निकाय **कार्यकारी और न्यायिक दोनों शाखाओं** की विशेषताओं को जोड़ते हैं। वे नियमित न्यायालयों की तुलना में प्राय: सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, कानूनों एवं विनियमों से उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करते हैं।
- **महत्त्व:** वे विवादों के समाधान के लिये तीव्र और अधिक सुलभ मार्ग प्रदान करते हैं, नियमित न्यायालयों में भीड़ को कम करते हैं तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हैं।
- **उदाहरण:**
  - **राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)** पर्यावरणीय विवादों पर निर्णय देता है, जबकि **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग** उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करता है।

लोक प्रशासन पर प्रभाव:

- **उन्नत विशेषज्ञता और सूचित निर्णय लेना:** ये निकाय जटिल मुद्दों से निपटने के लिये विशेष ज्ञान का लाभ उठाते हैं, जिससे लोक प्रशासन के भीतर डेटा-संचालित निर्णय लेने में मदद मिलती है।
  - उदाहरण के लिये, **विश्व बैंक** ने **वित्त वर्ष 2024** के लिये भारतीय विकास की अनुमानित दर 6.3% रखी है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से RBI ब्याज दरों को विनियमित करने के लिये इन डेटा-संचालित रणनीतियों का उपयोग करता है।
- **सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ और बेहतर सेवा वितरण:** वैधानिक एवं नियामक निकाय **स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएँ** स्थापित करते हैं, जिससे सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवा वितरण में मापने योग्य सुधार होता है।

नोट :

- **उदाहरण:** हाल ही में FSSAI ने स्पष्ट किया है कि **'हेल्थ ड्रिंक'** शब्द **FSS अधिनियम 2006** के तहत कहीं भी परिभाषित या मानकीकृत नहीं है।

- **जवाबदेही और अनुपालन को बढ़ावा देना:** नियामक निकाय मानक निर्धारित करते हैं, अनुपालन लागू करते हैं और हितधारकों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह बनाते हैं, जिससे **नैतिक प्रथाओं** में स्पष्ट रूप से सुधार होता है।
- **पारदर्शिता और नागरिक केंद्रितता को बढ़ावा देना:** अर्द्ध-न्यायिक निकाय नागरिकों को शिकायतों का समाधान करने के लिये सुलभ मंच प्रदान करते हैं, जिससे एक अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी लोक प्रशासन प्रणाली का निर्माण होता है।
  - दिल्ली के गाज़ीपुर लैंडफिल/भराव क्षेत्र में भीषण आग लगने के बाद, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वत: संज्ञान लिया और शहरों में डंप साइटों को **"टाइम बम"** के रूप में परिभाषित किया।
- **अनुकूलनशीलता और उभरती चुनौतियों का समाधान:** ये निकाय नई चुनौतियों और तकनीकी प्रगति से निपटने के लिये नियमों को अनुकूलित एवं विकसित कर सकते हैं, उभरते मुद्दों से स्पष्ट रूप से निपट सकते हैं।
  - **एल्गोरिथम ट्रेडिंग** के लिये **SEBI** के हालिया नियम एक नई चुनौती हेतु डेटा-संचालित प्रतिक्रिया हैं।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न: लोक ऋण प्रबंधन के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिये। प्रभावी ऋण प्रबंधन व्यापक आर्थिक स्थिरता में किस प्रकार योगदान देता है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Explain the objectives of public debt management. How does effective debt management contribute to macroeconomic stability? Discuss. (250 Words)

उत्तर:

हल करने का दृष्टिकोण:

- लोक ऋण प्रबंधन को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में लोक ऋण प्रबंधन के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि प्रभावी ऋण प्रबंधन व्यापक आर्थिक स्थिरता में कितना योगदान देता है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

लोक ऋण प्रबंधन, आर्थिक नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है जिसमें सरकारी ऋण जारी करना, विनियमन और वसूली शामिल है। लोक ऋण प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जोखिमों का विवेकपूर्वक प्रबंधन एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता का ध्यान रखते हुए सरकार की वित्तपोषण आवश्यकताओं को मध्यम से लंबी अवधि में सबसे कम लागत पर पूरा किया जाए।

मुख्य भाग:

लोक ऋण प्रबंधन के उद्देश्य:

1. सरकारी व्यय का वित्तपोषण:

- लोक ऋण प्रबंधन का उद्देश्य बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक खर्चों सहित सरकारी व्यय के लिये वित्तपोषण का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना है।

2. राजकोषीय घाटे का प्रबंधन:

- इसका एक अन्य उद्देश्य रणनीतिक उधारी प्रक्रिया को अपनाते हुए राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि लंबी अवधि में सरकारी खर्च राजस्व सृजन से अधिक न हो।
- यूरोप का संप्रभु ऋण संकट, खराब ऋण प्रबंधन के परिणामों के बारे में सतर्क करता है।
- ग्रीस, पुर्तगाल और इटली जैसे देशों को अस्थिर ऋण स्तरों के कारण गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे आर्थिक संकुचन, वित्तीय अस्थिरता के साथ इन्हें बाहरी सहायता की आवश्यकता हुई।

3. उधार लेने की लागत कम करना:

- कुशल ऋण प्रबंधन के माध्यम से अनुकूल ब्याज दरों एवं शर्तों पर सरकार को धन प्रदान करके उधार लेने की लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसमें ऋण के स्रोतों में विविधता लाना तथा ऋण परिपक्वता प्रोफाइल को अनुकूलित करना शामिल है।

4. ऋण स्थिरता बनाए रखना:

- लोक ऋण प्रबंधन का उद्देश्य सरकारी ऋण स्तरों की स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिससे अत्यधिक ऋण लेने के कारण होने वाले ऋण संकट या राजकोषीय अस्थिरता को रोका जा सके।
- जापान का अनुभव प्रभावी ऋण प्रबंधन के महत्त्व पर प्रकाश डालता है। सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक ऋण का उच्च स्तर होने के बावजूद, जापान ने विवेकपूर्ण उधार प्रथाओं, कम ब्याज दरों एवं एक मज़बूत घरेलू निवेशक आधार के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखी है।

व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान:

1. ब्याज दर की स्थिरता:

- प्रभावी ऋण प्रबंधन ब्याज दरों को स्थिर करने में मदद करके व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है। ऋण की मात्रा, परिपक्वता एवं संरचना का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करके, लो प्राअधिकारी ब्याज दर की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे वित्तीय बाज़ारों की अस्थिरता में कमी आ सकती है।

2. राजकोषीय अनुशासन:

- रणनीतिक ऋण प्रबंधन, सरकारों को स्थायी ऋण प्रथाओं का पालन करने के लिये प्रोत्साहित करके राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देता है।
- इससे अत्यधिक ऋण संचय को रोकने में मदद मिलती है, जो निवेशकों के विश्वास को कमज़ोर करने के साथ व्यापक आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA),2003 का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने एवं लोक ऋण को कम करने के साथ व्यापक आर्थिक स्थिरता तथा निवेशकों के विश्वास को मज़बूत बनाना था।

नोट :

3. विनिमय दर में स्थिरता:

- विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, अस्थिर ऋण स्तरों के बारे में चिंताओं के कारण होने वाले मुद्रा मूल्यह्रास के जोखिम को कम करके विनिमय दर स्थिरता में योगदान देता है।
- स्थिर विनिमय दरें निवेशकों एवं व्यवसायों को निश्चितता प्रदान करके आर्थिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करती हैं।
- देश की विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन प्रथाओं के कारण अमेरिकी ट्रेज़री प्रतिभूतियों को व्यापक रूप से सुरक्षित-संपत्ति के रूप में माना जाता है।
- राष्ट्रीय स्तर पर काफी उच्च ऋण होने के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ऋण प्रबंधन रणनीतियों से स्थिर व्यापक आर्थिक स्थितियों के क्रम में लाभ प्राप्त होता है।

4. निवेशकों का विश्वास:

- प्रभावी ऋण प्रबंधन से सरकारी बॉण्डों और प्रतिभूतियों में निवेशकों का विश्वास बढ़ने से घरेलू एवं विदेशी निवेश आकर्षित होता है।
- पूंजी के इस प्रवाह से आर्थिक विकास को समर्थन मिलने के साथ वित्तीय संकट की संभावना में कमी आती है, जिससे व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

5. बजटीय अनुकूलन:

- ऋण स्तर और पुनर्भुगतान कार्यक्रम को अनुकूलित करके, लोक ऋण प्रबंधन से बजटीय अनुकूलन को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकारों को अत्यधिक ऋण का सहारा लिये बिना आर्थिक असंतुलन एवं अप्रत्याशित व्यय के खिलाफ प्रतिक्रया देने में सहायता मिलती है।

6. आर्थिक संवृद्धि:

- सतत् ऋण प्रबंधन नीतियाँ, स्थिर व्यापक आर्थिक स्थितियों को बनाए रखते हुए आर्थिक विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाती हैं।
- अत्यधिक ऋण बोझ से बचकर, सरकारें दीर्घकालिक समृद्धि एवं स्थिरता को बढ़ावा देते हुए, संसाधनों को अधिक कुशलता से आवंटित कर सकती हैं।

निष्कर्ष:

लोक ऋण प्रबंधन राजकोषीय चुनौतियों का समाधान करके, वित्तीय बाज़ारों को स्थिर कर तथा निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देकर व्यापक आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विवेकपूर्ण उधार प्रथाओं एवं रणनीतिक ऋण प्रबंधन के माध्यम से सरकारें ऋण संबंधी जोखिमों को कम करने एवं विकास को बढ़ावा देने के साथ दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर सकती हैं।

प्रश्न: भारत में कृषि उत्पादकता, आय वितरण तथा खाद्य सुरक्षा पर कृषि सब्सिडी के प्रभाव की चर्चा कीजिये। इसकी बेहतर प्रभावशीलता हेतु सुझाव दीजिये। (250 शब्द)

Discuss the impact of farm subsidies on agricultural productivity, income distribution, and food security in India. Suggest reforms for better effectiveness. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- कृषि सब्सिडी के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में कृषि उत्पादकता, आय वितरण तथा खाद्य सुरक्षा पर कृषि सब्सिडी के प्रभाव की चर्चा कीजिये।
- कृषि सब्सिडी की बेहतर प्रभावशीलता हेतु सुझाव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कृषि सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन है जिसे सरकार द्वारा किसानों एवं कृषि उत्पादकों को कृषि कार्यों का समर्थन करने, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि बाज़ारों को स्थिर करने हेतु प्रदान की जाती है। ये सब्सिडी विभिन्न रूपों में हो सकती है, जिसमें प्रत्यक्ष भुगतान, मूल्य समर्थन, सब्सिडी वाले ऋण, फसल बीमा तथा कृषि बुनियादी ढाँचे के विकास हेतु अनुदान देना शामिल हैं।

मुख्य भाग:

- **कृषि उत्पादकता पर प्रभाव:**
  - कृषि सब्सिडी द्वारा किसानों को बीज, उर्वरक तथा मशीनरी जैसे इनपुट हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।
  - यह किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिये, ड्रिप सिंचाई प्रणालियों हेतु सब्सिडी से जल की कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को जल संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद मिली है।
    - इसके अलावा, कृषि मशीनरी एवं उपकरणों पर सब्सिडी से मशीनीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ शारीरिक श्रम पर निर्भरता में कमी आई है जिससे कृषि कार्यों में दक्षता को बढ़ावा मिला है।
- **आय वितरण पर प्रभाव:**
  - कृषि सब्सिडी का लक्ष्य छोटे तथा सीमांत किसानों को समर्थन

नोट :

देना है जिससे आय असंतुलन को कम किया जा सके। बड़े किसानों की संसाधनों तथा बुनियादी ढाँचे तक अधिक पहुँच होने के कारण उन्हें सब्सिडी से अधिक लाभ होता है।
    - इससे कृषि क्षेत्र में आय असमानता बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे किसानों के पास सब्सिडी का लाभ उठाने की समान क्षमता नहीं होती है।
    - उदाहरण के लिये, शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 6% किसान ही MSP योजना से लाभान्वित होते हैं।
  - इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सब्सिडी के वितरण से भी आय वितरण में असमानताओं को बढ़ावा मिलता है।
  - बेहतर बुनियादी ढाँचे तथा बाज़ार पहुँच वाले संपन्न क्षेत्रों को सब्सिडी से अधिक लाभ मिलता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय का अंतर बढ़ जाता है।
- **खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव:**
  - कृषि सब्सिडी द्वारा खाद्य कीमतों को स्थिर करने एवं कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।
    - चावल और गेहूँ जैसी आवश्यक फसलों पर सब्सिडी से किसानों को फसलों की कृषि के लिये प्रोत्साहन मिलता है, जिनकी भारतीय आहार में प्रमुख भूमिका है।
  - इससे घरेलू मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त खाद्य भंडार बनाए रखने (खासकर कमी या अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के दौरान) में मदद मिलती है।
  - इसके अतिरिक्त उर्वरकों एवं अन्य आदानों पर सब्सिडी से किसानों की उत्पादन लागत में कमी आती है, जिससे उपभोक्ताओं के लिये खाद्य कीमतें किफायती बनती हैं।

बेहतर प्रभावशीलता हेतु सुधार:

- **लक्षित सब्सिडी:**
  - उन सीमांत किसानों के लिये अधिक प्रभावी ढंग से सब्सिडी का लाभ पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जिन्हें समर्थन की सबसे अधिक आवश्यकता है।
  - इसे आधार-आधरित पहचान एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुँचे।
- **सब्सिडी का विविधीकरण:**
  - केवल इनपुट सब्सिडी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, कृषि बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने की दिशा में बदलाव लाना चाहिये।
  - इससे किसानों को सतत् प्रथाओं को अपनाने एवं अपने आय स्रोतों में विविधता लाने के साथ जलवायु परिवर्तन और बाज़ार की अस्थिरता से संबंधित जोखिमों को कम करने में मदद मिलेगी।
    - **PM-KISAN:** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाती है।
- **कृषि पारिस्थितिकी को बढ़ावा:**
  - कृषि प्रणालियों में पारिस्थितिकी सिद्धांतों के एकीकरण पर बल देने वाले कृषि-पारिस्थितिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिये।
  - इसमें जैविक कृषि, फसल विविधीकरण के साथ संरक्षण कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे न केवल उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता एवं अनुकूलन में भी योगदान मिलेगा।
    - मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: इस योजना के तहत उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के साथ उत्पादकता में सुधार के लिये मृदा परीक्षण हेतु सब्सिडी प्रदान करना शामिल है।
- **बाज़ार सुधार:**
  - बाज़ार के बुनियादी ढाँचे में सुधार तथा बेहतर मूल्य प्रदान करने से किसानों की सब्सिडी पर निर्भरता कम हो सकती है।
  - किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा कृषि विपणन संबंधी बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने से किसानों को प्रत्यक्ष रूप से बाज़ारों तक पहुँचने में सक्षम बनाने के साथ बिचौलियों को कम किया जा सकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश:**
  - उच्च उपज देने वाली तथा जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने के लिये कृषि अनुसंधान और विकास (R&D) में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।
  - इससे फसलों की उत्पादकता के साथ जैविक एवं अजैविक रूप से इनके अनुकूलन को बढ़ावा देने के माध्यम से सब्सिडी पर निर्भरता कम हो जाएगी।

निष्कर्ष:

कृषि सब्सिडी द्वारा भारत में कृषि विकास को समर्थन देने के साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है लेकिन आय असमानता एवं पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी चुनौतियों का समाधान करने हेतु सुधारों की आवश्यकता है। लक्षित और विविध सब्सिडी योजनाओं को लागू करने, कृषि पारिस्थितिकी प्रथाओं को बढ़ावा देने

नोट :

तथा बाज़ार सुधारों के साथ अनुसंधान एवं विकास में निवेश करके, भारत में समावेशी व सतत् कृषि विकास को बढ़ावा देते हुए कृषि सब्सिडी की प्रभावशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रश्न: भारत में प्रचलित विभिन्न निवेश मॉडलों पर चर्चा करते हुए उनकी विशेषताओं, लाभों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये। इन मॉडलों को अधिक समावेशी तथा टिकाऊ किस प्रकार बनाया जा सकता है? (250 शब्द)

Discuss the various investment modd els prevalent in India, highlighting their features, advantages, and challenges. How can these models be made more inclusive and sustainable? (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- निवेश मॉडल के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में प्रचलित विभिन्न निवेश मॉडलों पर चर्चा करते हुए उनकी विशेषताओं, लाभों तथा चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- विश्लेषण कीजिये कि इन मॉडलों को किस प्रकार अधिक समावेशी एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आर्थिक संवृद्धि एवं विकास के लिये निवेश महत्त्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न निवेश मॉडल प्रचलित हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएँ, लाभ और चुनौतियाँ हैं। ये मॉडल अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य भाग:

निवेश मॉडल के प्रकार:

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):**
  - **विशेषताएँ:** इसमें एक विदेशी इकाई द्वारा व्यवसाय स्थापित करना या किसी मौजूदा भारतीय उद्यम में पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना शामिल है।
  - **लाभ:** इससे पूंजी के प्रवाह एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ रोज़गार का सृजन होता है।
  - **चुनौतियाँ:** निर्भरता के साथ देश की संप्रभुता और सांस्कृतिक पहलुओं का नुकसान हो सकता है।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2018 में वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):**
  - **विशेषताएँ:** बुनियादी ढाँचे के विकास और सेवा वितरण हेतु सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
  - **लाभ:** जोखिम साझाकरण एवं कुशल संसाधन आवंटन के साथ समय पर परियोजना पूरी हो पाती है।
  - **चुनौतियाँ:** अनुबंध प्रबंधन में जटिलताओं तथा नियामक बाधाओं के साथ लाभ-साझाकरण को लेकर विवाद होता है।
  - **उदाहरण:** PPP के तहत दिल्ली हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण।
- **उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी:**
  - **विशेषताएँ:** उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्टअप या छोटे व्यवसायों में निवेश।
  - **लाभ:** नवाचार, रोज़गार सृजन के साथ विशेषज्ञता तक पहुँच प्राप्त होती है।
  - **चुनौतियाँ:** उच्च जोखिम वाली प्रकृति एवं तत्काल रिटर्न की कमी के साथ सामाजिक क्षेत्रों पर सीमित फोकस।
  - उदाहरण: सिकोइया कैपिटल का बायजू में निवेश।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs):**
  - **विशेषताएँ:** यह निवेश प्लेटफार्म, बुनियादी ढाँचे या रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश करने के लिये निवेशकों से धन एकत्र करते हैं।
  - **लाभ:** तरलता एवं विविधीकरण के साथ आय सृजन को प्रोत्साहन मिलता है।
  - **चुनौतियाँ:** बाज़ार पर निर्भरता, नियामक बाधाएँ और परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिम।
  - **उदाहरण:** सड़क परियोजनाओं में IRB InvIT फंड का निवेश।

निवेश मॉडल को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाना:

- **समावेशिता:**
  - **पूंजी तक पहुँच:** छोटे निवेशकों के लिये प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में निवेश करना चाहिये।
  - **जोखिम न्यूनीकरण:** महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिये बीमा योजनाओं के साथ सरकारी गारंटी पर बल देना।
  - **कौशल विकास:** निवेश आकर्षित करने वाले उद्योगों में रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

नोट :

- **वहनीयता**
  - **पर्यावरण प्रभाव आकलन:** यह सुनिश्चित करने के लिये कड़े मानदंड अपनाने चाहिये कि निवेश से पर्यावरण को नुकसान न हो।
  - **सामाजिक प्रभाव आकलन:** स्थानीय समुदायों पर परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** टिकाऊ प्रौद्योगिकियों एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एवं इलेक्ट्रिक वाहन आदि में निवेश को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भारत के निवेश मॉडल आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के साथ समावेशिता तथा स्थिरता को बढ़ावा देकर, ये मॉडल संवृद्धि तथा विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पर्यावरण

प्रश्न: उभरते वैश्विक जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

Critically assess the future prospects of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in the context of evolving global climate change scenarios. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।
- उभरते वैश्विक जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों के संदर्भ में उपर्युक्त पहलुओं पर चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की स्थापना वर्ष 1992 में जलवायु प्रणाली में नकारात्मक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने तथा वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।

मुख्य भाग:

UNFCCC के समक्ष चुनौतियाँ:

- **अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में जटिलता:**
  - इसके विमर्श में अलग-अलग हितों और प्राथमिकताओं वाले विविध हितधारक शामिल होते हैं, जिससे जटिलता के साथ प्रक्रियाएँ लंबी हो जाती हैं।
  - विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भों वाले लगभग 200 सदस्य देशों के बीच आम सहमति हासिल करना चुनौतीपूर्ण है।
- **वर्तमान प्रतिबद्धताओं की सीमित प्रभावकारिता:**
  - UNFCCC के तहत की गई प्रतिबद्धताएँ जैसे कि पेरिस समझौता (ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना) पर्याप्त नहीं है।
  - जैसा कि उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट में बताया गया है, कई देश अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिससे समझौते की प्रभावशीलता कम हो रही है।
- **प्रवर्तन तंत्र का अभाव:**
  - UNFCCC के तहत मज़बूत प्रवर्तन तंत्र का अभाव है और यह स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर है।
  - इससे कुछ देश ज़िम्मेदारी से बचने के साथ जलवायु कार्रवाई पर अल्पकालिक आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हैं।
- **जलवायु कार्रवाई का वित्तपोषण:**
  - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं शमन प्रयासों के लिये अपर्याप्त धन से इस दिशा में प्रगति (विशेष रूप से विकासशील देशों) में बाधा आती है।
  - विकसित देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के बावजूद, ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

सुधार हेतु अवसर:

- **जलवायु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति:**
  - जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और संभावित शमन रणनीतियों की बेहतर समझ प्रदान करती है।

नोट :

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और कार्बन कैप्चर एवं भंडारण जैसे- तकनीकी नवाचार, उत्सर्जन को कम करने के लिये समाधान प्रदान करते हैं।

- **सार्वजनिक जागरूकता और सक्रियता बढ़ाना:**
  - जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती जन जागरूकता और चिंता सरकारों एवं व्यवसायों पर कार्रवाई करने का दबाव डाल रही है।
  - ज़मीनी स्तर के आंदोलन, युवा सक्रियता और फ्राईडेज़ फॉर फ्यूचर जैसी पहल जलवायु कार्रवाई के लिये गति बढ़ा रही हैं।
- **सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जलवायु कार्रवाई का एकीकरण:**
  - एसडीजी में उल्लिखित व्यापक विकास उद्देश्यों के साथ जलवायु कार्रवाई को संरेखित करने से हितधारकों की एक विस्तृत शृंखला से समर्थन प्राप्त हो सकता है।
  - जलवायु कार्रवाई के सह-लाभ, जैसे- बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैवविविधता संरक्षण और गरीबी में कमी, भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **वैश्विक सहयोग और भागीदारी:**
  - सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के बीच बेहतर सहयोग सामूहिक कार्रवाई को सुविधाजनक बना सकता है।
  - क्लाइमेट एक्शन समिट और सीओपी सम्मेलन जैसी पहल बातचीत, ज्ञान-साझाकरण एवं साझेदारी के लिये मंच प्रदान करती हैं।
- **हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन:**
  - स्वच्छ ऊर्जा, सतत् बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने से उत्सर्जन को कम करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
  - हरित वित्तपोषण तंत्र (जैसे- कार्बन मूल्य निर्धारण एवं हरित बॉण्ड) से जलवायु-अनुकूलन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है।

निष्कर्ष:

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने में UNFCCC की भविष्य की संभावनाएँ, चुनौतियों का समाधान करने तथा अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता पर निर्भर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की जटिलताएँ तथा वर्तमान प्रतिबद्धताओं की अपर्याप्तता से इसमें कुछ बाधाएँ आती हैं लेकिन जलवायु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में प्रगति, लोक जागरूकता एवं सक्रियता में वृद्धि तथा सतत् विकास लक्ष्यों के साथ इसके एकीकरण से वैश्विक सहयोग और हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हेतु प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।

प्रश्न: ओजोन छिद्र के कारणों एवं परिणामों को बताते हुए इसके समाधान हेतु वैश्विक प्रयासों पर चर्चा कीजिये। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस पर्यावरणीय चुनौती को प्रभावी ढंग से किस प्रकार हल कर सकता है? (250 शब्द)

Discuss the causes, consequences, and global efforts to mitigate ozone depletion. How can international cooperation address this environmental challenge effectively? (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- ओज़ोन छिद्र/क्षरण के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- ओज़ोन छिद्र में कमी लाने के कारणों, परिणामों एवं संबंधित वैश्विक प्रयासों पर चर्चा कीजिये।
- इस पर्यावरणीय चुनौती से निपटने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

ओज़ोन छिद्र से तात्पर्य पृथ्वी के समताप मंडल में ओज़ोन परत के विरल होने से है, जिसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), हेलोन एवं अन्य औद्योगिक रसायनों जैसे ओज़ोन-क्षरण वाले पदार्थों (ODS) के उत्सर्जन के कारण होता है। इससे मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण के लिये खतरा होता है।

मुख्य भाग:

ओज़ोन क्षरण के कारण:

- **ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ (ODS):**
  - CFCs, हेलोन एवं मिथाइल ब्रोमाइड जैसे औद्योगिक रसायन इसके प्राथमिक कारक हैं।
  - समताप मंडल में पहुँचने पर ये पदार्थ क्लोरीन तथा ब्रोमीन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे यह ओज़ोन अणुओं को तोड़ देते हैं।
- **मानवीय गतिविधियाँ:**
  - औद्योगिक प्रक्रियाएँ, एयरोसोल स्प्रे, एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन प्रणालियों से वायुमंडल में ODS का उत्सर्जन होता है।
- **प्राकृतिक कारक:**
  - ज्वालामुखी विस्फोट एवं सौर ज्वालाएँ भी ओज़ोन क्षरण में योगदान कर सकती हैं, हालाँकि मानवीय गतिविधियों की तुलना में इनका योगदान काफी कम होता है।

नोट :

ओज़ोन क्षरण के परिणाम:

- **यूवी विकिरण में वृद्धि:**
  - ओज़ोन परत के विरल होने से अधिक पराबैंगनी (UV) विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुँच सकता है, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो सकती है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:**
  - UV विकिरण से फाइटोप्लांकटन, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के साथ फसलों एवं वनों को नुकसान होता है, जिससे जैवविविधता एवं खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - ओज़ोन की कमी से जलवायु प्रतिरूप पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे तापमान, वर्षा एवं वायुमंडलीय परिसंचरण में असंतुलन हो सकता है।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  - UV विकिरण में वृद्धि के कारण फसलों, समुद्री जीवन एवं पर्यटन स्थलों पर प्रभाव पड़ने से कृषि, मत्स्य पालन तथा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।

ओज़ोन क्षरण को कम करने हेतु वैश्विक प्रयास:

- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल:**
  - वर्ष 1987 में अपनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ODS के उत्पादन एवं उपयोग को चरणबद्ध रूप से कम करना है। इससे वैश्विक स्तर पर 99% ODS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सका है।
- **अनुवर्ती संशोधन:**
  - कई संशोधनों द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और भी प्रभावी बनाया गया है, जिससे अतिरिक्त ODS को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने तथा विकासशील देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में गति आई है।
  - **किगाली संशोधन:** यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का विस्तार है, जिसका उद्देश्य शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को चरणबद्ध तरीके से कम करना है।
- **अनुसंधान एवं नवाचार:**
  - ओज़ोन क्षरण एवं ओडीएस के विकल्पों पर निरंतर शोध से ओज़ोन-अनुकूल प्रौद्योगिकियों तथा प्रथाओं का विकास हुआ है।
- **जन जागरूकता:**
  - जागरूकता अभियानों से ओज़ोन परत की सुरक्षा के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ी है, जिससे व्यक्तिगत तथा औद्योगिक स्तर पर ओज़ोन-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के क्रम में प्रोत्साहन मिला है।

प्रभावी शमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- **वैश्विक सहयोग:**
  - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।
  - **ओज़ोन छिद्र की रिकवरी:** अंटार्कटिक में ओज़ोन छिद्र की रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं, जो ओज़ोन क्षरण को कम करने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की प्रभावशीलता का परिचायक है।
- **तकनीकी हस्तांतरण:**
  - विकसित देशों ने विकासशील देशों की, ओज़ोन संरक्षण प्रयासों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के क्रम में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता की है।
- **निगरानी और अनुपालन:**
  - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ODS उत्सर्जन की निगरानी करने के साथ संधि से संबंधित दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में भूमिका निभाते हैं।
- **अनुकूलन और लचीलापन:**
  - पर्यावरणीय चुनौतियों के अंतर्संबंध को पहचानते हुए, ओज़ोन क्षरण को कम करने के क्रम में किये जाने वाले प्रयासों को जलवायु अनुकूलन रणनीतियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

ओज़ोन क्षरण के मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलवायु तंत्र पर दूरगामी परिणाम होने के क्रम में यह एक प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती बनी हुई है। हालाँकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे वैश्विक प्रयास इस खतरे को प्रभावी ढंग से कम करने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इस दिशा में सहयोग, नवाचार तथा लोक जागरूकता बढ़ाने के माध्यम से ओज़ोन परत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्रश्न: किसी देश के परमाणु कार्यक्रम के रणनीतिक, पर्यावरणीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों पर चर्चा करते हुए वैश्विक सुरक्षा एवं कूटनीति पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

नोट :

Discuss the strategic, environmental, and international implications of a nation's nuclear programme, considering its impact on global security and diplomacy. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- परमाणु कार्यक्रम का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- किसी राष्ट्र के परमाणु कार्यक्रम के रणनीतिक, पर्यावरणीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।
- वैश्विक सुरक्षा एवं कूटनीति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

परमाणु कार्यक्रम का आशय परमाणु क्षमताओं को विकसित करने के क्रम में सरकार द्वारा की जाने वाली पहल है, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के साथ परमाणु हथियार बनाना हो सकता है। इन कार्यक्रमों में परमाणु रिएक्टरों सहित परमाणु प्रौद्योगिकी का विकास, उत्पादन और उपयोग शामिल है।

मुख्य भाग:

रणनीतिक निहितार्थ:

- **निवारण और सुरक्षा:**
  - परमाणु कार्यक्रम संभावित विरोधियों के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि परमाणु क्षमता रखने से देश की सुरक्षा बढ़ती है।
  - पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश (MAD) की अवधारणा बड़े पैमाने पर संघर्षों को रोकने में भूमिका निभाती है।
  - परमाणु हथियार रक्षात्मक एवं आक्रामक दोनों स्थितियों के लिये विकल्प प्रदान करके देश की सैन्य रणनीति में योगदान करते हैं।
- **हथियारों की होड़ और प्रसार:**
  - परमाणु क्षमताओं को हासिल करने से क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जिससे तनाव एवं अस्थिरता बढ़ सकती है।
  - इसके प्रसार संबंधी चिंताएँ तब उत्पन्न होती हैं जब अधिक राष्ट्र परमाणु हथियार हासिल कर लेते हैं, जिससे संभावित रूप से वैश्विक अप्रसार प्रयास कमज़ोर हो जाते हैं।
  - परमाणु प्रसार से मौजूदा संघर्षों के बढ़ने और परमाणु आतंकवाद की संभावना बढ़ने का जोखिम रहता है।

पर्यावरणीय निहितार्थ:

- **परमाणु सुरक्षा और दुर्घटनाएँ:**
  - परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में अंतर्निहित जोखिम शामिल हैं, जिसमें चरनोबिल और फुकुशिमा जैसी दुर्घटनाओं की संभावना भी शामिल है, जिसके गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होते हैं।
  - परमाणु दुर्घटनाओं के बाद रेडियोधर्मी संदूषण वातावरण में दशकों तक बना रह सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:**
  - परमाणु अपशिष्ट का निपटान, दीर्घकालिक पर्यावरणीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ हज़ारों वर्षों तक खतरनाक बने रहते हैं।
  - अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं से मृदा और जल के साथ वायु प्रदूषित हो सकती है, जिससे मानव आबादी तथा पारिस्थितिकी तंत्र दोनों के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ:

- **राजनयिक संबंध:**
  - परमाणु क्षमता वाले राष्ट्र अक्सर महत्त्वपूर्ण राजनयिक प्रभाव डालते हैं, जैसा कि वैश्विक भू-राजनीति को आकार देने में परमाणु शक्तियों की भूमिका से पता चलता है।
  - परमाणु प्रसार से राजनयिक संबंधों में तनाव आ सकता है, जिससे गैर-परमाणु देशों के साथ संबंधित पड़ोसी देशों के बीच चिंताएँ बढ़ सकती हैं।
    - उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होने के साथ इससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव में वृद्धि हुई है।
    - कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद, उत्तर कोरिया के परमाणु प्रसार से क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती मिलने के साथ परमाणु अप्रसार मानदंडों की अवहेलना हुई है।
- **शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार:**
  - परमाणु अप्रसार संधि (NPT) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार पर अंकुश लगाना तथा निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है।
  - अप्रसार प्रयासों के आलोक में सुरक्षा उपायों को लागू करने तथा परमाणु सामग्रियों के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिये राष्ट्रों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

नोट :

- **वैश्विक सुरक्षा पहल:**
  - परमाणु हथियारों के प्रसार से उत्पन्न जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिये एक मज़बूत वैश्विक सुरक्षा पहल की आवश्यकता होती है।
  - अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) जैसी संस्थाएँ परमाणु गतिविधियों की निगरानी करने तथा शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
    - ईरान का परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जाँच का विषय रहा है, जिसमें उसके उद्देश्य तथा परमाणु समझौतों के अनुपालन को लेकर चिंताएँ हैं।
    - संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) जैसे पटलों का उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।

निष्कर्ष:

किसी देश के परमाणु कार्यक्रम के रणनीतिक विचारों से लेकर पर्यावरणीय चिंताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता तक बहुआयामी निहितार्थ होते हैं। इन आयामों की व्यापक जाँच करके नीति निर्माता परमाणु प्रसार से उत्पन्न जटिल चुनौतियों से निपटने के साथ वैश्विक सुरक्षा एवं कूटनीति को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर सकते हैं।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी

प्रश्न: जैव विविधता संरक्षण में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसके संरक्षण से संबंधित चुनौतियों एवं रणनीतियों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

Discuss the significance of ecological hotspots in biodiversity conservation. Examine the challenges and strategies for their preservation in the context of climate change. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- पारिस्थितिक हॉटस्पॉट का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- जैवविविधता संरक्षण में पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के महत्त्व का वर्णन कीजिये।
- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसके संरक्षण से संबंधित चुनौतियों और रणनीतियों का मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जो स्थानिक प्रजातियों की अधिक संख्या के साथ प्रजातियों के उच्च घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। विश्व भर में 36 क्षेत्र हॉटस्पॉट के रूप में निर्धारित हैं। पृथ्वी की सतह के क्षेत्रफल में 2.5% प्रतिशत की हिस्सेदारी होने के बावजूद यह क्षेत्र विश्व की आधे से अधिक पौधों की प्रजातियों का स्थल हैं। प्रजातियों की विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों एवं इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आलोक में पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट की रक्षा करना आवश्यक है।

मुख्य भाग:

पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट का महत्त्व :

- **जैवविविधता हॉटस्पॉट:**
  - इन क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे यह वैश्विक जैवविविधता संरक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण स्थल बन जाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत में पश्चिमी घाट विश्व के जैवविविधता हॉटस्पॉट में से एक है, जो विभिन्न स्थानिक प्रजातियों का स्थल है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ:**
  - पारिस्थितिक हॉटस्पॉट कार्बन पृथक्करण, जल शुद्धिकरण एवं जलवायु विनियमन जैसी आवश्यक पारिस्थितिकी सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे स्थानीय समुदायों और वैश्विक आबादी दोनों को लाभ होता है।
- **आनुवंशिक विविधता:**
  - इन क्षेत्रों से दवा उद्योगों के लिये महत्त्वपूर्ण अद्वितीय आनुवंशिक संसाधन मिलते हैं।
  - उदाहरण के लिये, अमेज़न वर्षावन आनुवंशिक विविधता का भंडार है जो संभावित रूप से चिकित्सा क्षेत्र के सुधार में सहायक हो सकते हैं।

पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के समक्ष चुनौतियाँ:

- **जलवायु परिवर्तन:**
  - तीव्र गति से होने वाला जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के लिये प्रमुख खतरा उत्पन्न करने के साथ तापमान एवं वर्षा के पैटर्न में बदलाव हेतु उत्तरदायी होता है, जिससे जीवों के आवास स्थलों का विनाश होता है।
  - उदाहरण के लिये, बढ़ते समुद्री तापमान को ग्रेट बैरियर रीफ में मूँगा विरंजन हेतु उत्तरदायी माना जाता है।

नोट :

- **आवास स्थलों का विनाश:**
  - वनों की कटाई, शहरीकरण एवं औद्योगीकरण जैसी मानवीय गतिविधियों से पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट में जीवों के आवास स्थलों के विनाश के साथ जैवविविधता का नुकसान हो रहा है।
  - अमेज़न बेसिन में जंगलों को कृषि भूमि में बदलना, इस चुनौती का उदाहरण है।
- **आक्रामक प्रजाति:**
  - बाहरी प्रजातियों के आगमन से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होने के साथ पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता में बदलाव आता है।
  - पश्चिमी घाट में लैंटाना कैमारा जैसे आक्रामक पौधों के प्रसार से स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवों के लिये खतरा उत्पन्न हुआ है।

संरक्षण हेतु रणनीतियाँ:

- **संरक्षित क्षेत्र:**
  - पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के संरक्षण के लिये संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के साथ इनका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना महत्त्वपूर्ण है।
  - राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिज़र्व, जैवविविधता से समृद्ध क्षेत्रों को विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में विश्व स्तर पर सबसे अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र का संरक्षण होता है।
- **सामाजिक सहभागिता:**
  - संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से स्थिरता बढ़ने के साथ पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
  - इकोटूरिज़्म जैसी समुदाय-आधारित पहल से संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ आजीविका के वैकल्पिक अवसर मिलते हैं।
  - इसका एक उदाहरण मेडागास्कर में समुदाय-प्रबंधित वन हैं, जिनके द्वारा जैवविविधता के संरक्षण में काफी मदद मिली है।
- **जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ:**
  - निवास स्थान का पुनरुद्धार एवं जीवों के अनुकूलन हेतु पारिस्थितिकी गलियारों के निर्माण जैसे जलवायु-अनुकूल संरक्षण उपायों को लागू करने से पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य मरुस्थलीकरण एवं जैवविविधता के नुकसान का समाधान करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - सीमा पार पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के संरक्षण के लिये राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग आवश्यक है।
  - जैविविविधता कन्वेंशन जैसे समझौते, जैवविविधता संरक्षण हेतु निर्णायक हैं।

निष्कर्ष:

पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट, जैवविविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाओं के अमूल्य भंडार हैं, लेकिन इनके समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। संरक्षित क्षेत्रों के निर्धारण, सामुदायिक भागीदारी, जलवायु अनुकूलन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने वाले रणनीतिक संरक्षण प्रयासों को अपनाकर इन महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को भविष्य की पीढ़ियों के लिये संरक्षित किया जा सकता है।

प्रश्न: चिकित्सा, पर्यावरण एवं संचार जैसे क्षेत्रों में नैनो-प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों, चुनौतियों तथा नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Discuss the potential applications, challenges, and ethical implications of nano-technology in fields like medicine, environment, and communication. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैनो-प्रौद्योगिकी का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- चिकित्सा, पर्यावरण एवं संचार जैसे क्षेत्रों में नैनो-प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों तथा चुनौतियों का वर्णन कीजिये।
- चिकित्सा, पर्यावरण तथा संचार जैसे क्षेत्रों में नैनो-प्रौद्योगिकी के नैतिक निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान और नवाचार का एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें आमतौर पर वस्तुओं का निर्माण परमाणुओं तथा अणुओं के पैमाने पर किया जाता है। एक नैनोमीटर एक मीटर का एक अरबवाँ हिस्सा होता है।

मुख्य भाग:

संभावित अनुप्रयोग:

- **औषधि क्षेत्र:**
  - नैनोटेक्नोलॉजी, लक्षित दवा वितरण सुनिश्चित करने के साथ इसके दुष्प्रभाव को कम करके प्रभावकारिता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिये कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाने वाला लिपोसोमल डॉक्सोरूबिसिन।

नोट :

- **नैदानिक उपकरण:** नैनोकणों का उपयोग MRI जैसी इमेजिंग तकनीकों में कंट्रास्ट एजेंट के रूप में किया जा सकता है, जिससे नैदानिक सटीकता में सुधार होता है।
- **पुनर्योजी चिकित्सा:** कोशिका वृद्धि एवं पुनर्जनन से संबंधित ऊतक इंजीनियरिंग में नैनोमटेरियल का उपयोग किया जाता है।

- **पर्यावरण:**
  - **जल शोधन:** प्रदूषकों को हटाने तथा जल की गुणवत्ता में सुधार के लिये टाइटेनियम डाइ-ऑक्साइड जैसे नैनोकणों का उपयोग जल उपचार संयंत्रों में किया जा सकता है।
  - **वायु निस्पंदन:** नैनोफाइबर फिल्टर वायु से हानिकारक कणों को हटा सकते हैं, जिससे इनडोर वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
  - **ऊर्जा भंडारण:** नैनोटेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक कुशल बैटरी तथा सौर सेल विकसित करने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में किया जाता है।
- **संचार:**
  - **डेटा भंडारण:** नैनोटेक्नोलॉजी, छोटे उपकरणों में उच्च डेटा भंडारण क्षमता को सक्षम बनाती है, जिससे तीव्र एवं अधिक कॉम्पैक्ट स्टोरेज उपकरणों का विकास होता है।
  - **ऑप्टिकल संचार:** नैनोमटेरियल का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर के साथ, डेटा ट्रांसमिशन गति में सुधार करने के लिये किया जाता है।

चुनौतियाँ:

- **स्वास्थ्य और सुरक्षा:**
  - **विषाक्तता:** नैनोकणों का मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर विषाक्त प्रभाव हो सकता है, जिससे तंत्रिका एवं प्रतिरक्षा प्रणाली में विकार हो सकता है।
  - **विनियमन:** नैनोमटेरियल के उपयोग तथा निपटान के लिये मानकीकृत नियमों की कमी से जोखिम उत्पन्न होता है।
  - **जैव वितरण:** शरीर में नैनोकण के वितरण से संबंधित समझ का अभाव होने के कारण चिकित्सा अनुप्रयोगों में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:**
  - **इकोटॉक्सिसिटी:** पर्यावरण में उत्सर्जित नैनोकण जीवों में जमा हो सकते हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होने के साथ जैव आवर्द्धन हो सकता है।
  - **अपशिष्ट प्रबंधन:** नैनोमटेरियल के निपटान एवं इनकी प्रतिक्रियाशीलता के कारण चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- **नैतिक निहितार्थ:**
- **गोपनीयता और सुरक्षा:**
  - **निगरानी:** नैनोटेक्नोलॉजी वाले निगरानी उपकरणों से निजता और नागरिक स्वतंत्रता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - **डेटा सुरक्षा:** संचार में नैनोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग से डेटा सुरक्षा तथा निजता संबंधी मुद्दे उत्पन्न होते हैं।
- **समानता और पहुँच:**
  - **स्वास्थ्य देखभाल असमानताएँ:** नैनो-प्रौद्योगिकी-आधारित चिकित्सा उपचार की उच्च लागत से मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में असमानताओं को बढ़ावा मिल सकता है।
  - **पर्यावरणीय न्याय:** नैनोटेक्नोलॉजी केंद्रों के पास के समुदायों को पर्यावरणीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
- **स्वायत्तता एवं सहमति:**
  - **सूचित सहमति:** यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि व्यक्ति नैनो-प्रौद्योगिकी-आधारित उपचारों के जोखिमों और लाभों को समझें।
  - **संवर्द्धन प्रौद्योगिकियाँ:** नैनोटेक्नोलॉजी से संज्ञानात्मक वृद्धि जैसी संवर्द्धन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं।

निष्कर्ष:

नैनोटेक्नोलॉजी में विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लाने की अपार क्षमता है, लेकिन इससे संबंधित चुनौतियों एवं नैतिक चिंताओं को दूर करने के लिये इसके अनुप्रयोगों को सावधानी से अपनाया जाना चाहिये। इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करते हुए नैनो टेक्नोलॉजी के लाभों का दोहन करने के क्रम में इसके विनियमन एवं संभावित जोखिमों पर शोध के साथ इसमें लोक भागीदारी आवश्यक है।

■■■

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडीज़

प्रश्न: एक गंभीर प्राकृतिक आपदा के बाद, एक समुदाय स्वयं को एक विकट स्थिति में पाता है, जिसमें हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं और उनके पास बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो जाती है। भारी वर्षा और बुनियादी ढाँचे की क्षति ने बचाव प्रयासों को गंभीर रूप से बाधित किया है, जिससे प्रभावित लोगों में हताशा और बढ़ गई है। जैसे ही बचाव दल घटनास्थल पर पहुँचता है, उन्हें शत्रुता और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिसमें टीम के कुछ सदस्यों पर हमला किया जाता है और एक सदस्य को गंभीर चोटें आती हैं। इस उथल-पुथल के बीच, टीम के भीतर से उनकी सुरक्षा के भय से ऑपरेशन को बंद करने का अनुरोध किया जाता है।

A. उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की जाँच कीजिये।

B. एक लोक सेवक के उन गुणों की जाँच कीजिये, जिनकी स्थिति को प्रबंधित करने के लिये आवश्यकता होगी।

C. मान लीजिये आप उस क्षेत्र में बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उपर्युक्त मामले का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- इस मामले में शामिल नैतिक दुविधा का परीक्षण कीजिये।
- इस आलोक में एक लोक सेवक के उन गुणों की जाँच कीजिये जिनकी इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिये आवश्यकता होगी।
- इस स्थिति को संभालने के लिये चरणबद्ध प्रतिक्रिया का प्रस्ताव दीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

यह मामला एक ऐसे समुदाय से संबंधित है जो गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है, जहाँ हज़ारों लोगों के बेघर होने के साथ ही भारी वर्षा एवं बुनियादी ढाँचे की क्षति के कारण बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो गई है। इस क्षेत्र में जैसे ही बचाव दल पहुँचते हैं, उन्हें शत्रुता और हिंसा का सामना करना पड़ता है, साथ ही टीम के कुछ सदस्यों पर हमला भी किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बचाव प्रयासों में बाधा उत्पन्न होने के कारण प्रभावित आबादी में हताशा और निराशा की स्थिति देखि गई। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है जहाँ सुरक्षा चिंताओं के साथ बचाव के प्राथमिकताओं को संतुलित करने की नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई है।

मुख्य भाग:

A. केस स्टडी में नैतिक दुविधा:

- **प्राथमिकताओं को संतुलित करना:** इसमें आपदा प्रभावित समुदाय को सहायता प्रदान करने के कर्त्तव्य तथा बचाव टीमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कर्त्तव्य के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।
- **नैतिक दायित्व बनाम सुरक्षा चिंताएँ:** इसमें बचावकर्मियों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के अपने कर्त्तव्य को पूरा करने तथा प्रतिकूल वातावरण में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच एक दुविधा का सामना करना पड़ता है।
- **संसाधन आवंटन:** सीमित संसाधनों का आवंटन प्रभावित समुदाय को सहायता प्रदान करने तथा बचावकर्त्ताओं की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के बीच संतुलित रूप से किया जाना चाहिये।

B. इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिये लोक सेवक के आवश्यक गुण:

- **साहस:** ऐसी स्थिति में लोक सेवकों को खतरे और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के साथ जोखिम के बावजूद दूसरों की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहने के साहस की आवश्यकता होती है।
- **सहानुभूति:** इससे लोक सेवक आपदा प्रभावित समुदाय की पीड़ा एवं हताशा को समझने तथा करुणा और संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है।
- **नेतृत्व:** प्रभावी नेतृत्व कौशल इस प्रकार की स्थिति को संभालने, बचाव प्रयासों का समन्वय करने तथा इसमें शामिल सभी लोगों के हित में निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **अनुकूलनशीलता:** इससे बदलती परिस्थितियों का त्वरित आकलन करने और उसके अनुरूप बचाव रणनीतियों को समायोजित करने में सक्षमता आती है।
- **ईमानदारी:** ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करने से यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय एवं बचाव टीमों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये संसाधनों को निष्पक्ष तथा नैतिक रूप से आवंटित किया गया है।

नोट :

C. स्थिति को संभालने के लिये चरणबद्ध प्रतिक्रिया:

- **तात्कालिक खतरों का आकलन करना:** जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के साथ बचाव टीमों के लिये खतरे के स्तर का आकलन करना।
- **सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना:** जोखिम वाले क्षेत्रों में अस्थायी रूप से कार्रवाई रोकने के साथ सुरक्षा उपाय लागू करना एवं बचावकर्मियों को आगे की हिंसा से बचाना।
- **सामुदायिक शिकायतों को हल करना:** स्थानीय अधिकारियों तथा समुदाय के नेताओं के साथ संचार को प्रभावी बनाने के साथ निराशा के अंतर्निहित कारणों का समाधान करना।
- **व्यावसायिकता और संवेदनशीलता:** व्यावसायिकता के साथ कार्रवाई करने के साथ प्रभावित व्यक्तियों की गरिमा का सम्मान करना।
- **संसाधन प्रबंधन:** तत्काल ज़रूरतों के आधार पर सुरक्षा एवं सहायता वितरण को प्राथमिकता देते हुए संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करना।
- **समन्वय:** समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना।
- **कार्रवाई की समीक्षा एवं निष्पादन:** नियमित रूप से संचालन की समीक्षा करने के साथ आवश्यकतानुसार रणनीतियों को अपनाना तथा भविष्य की प्रतिक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिये अनुभवों से सीखना।
- **अनुकूलनशीलता:** टीम के सदस्यों से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लचीला रुख अपनाने तथा उभरती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का आग्रह करना। ऐसे में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना तथा कठिनाइयों के बावजूद टीम को अपने प्रयासों में लगे रहने के लिये प्रेरित करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

लोक सेवा के सहानुभूतिपूर्ण गुणों को अपनाने के साथ एक रणनीतिक दृष्टिकोण का पालन करके, लोक सेवक ऐसी जटिल एवं चुनौतीपूर्ण स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं।

प्रश्न: आप भारत के एक ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हैं, जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जाति समूह के लोग रहते हैं। विधिक प्रावधानों एवं सकारात्मक नीतियों के बावजूद, इस ज़िले में जातिगत भेदभाव के मामले प्रचलित हैं। हाल ही में उच्च मानी जाने वाली जाति की प्रमुखता वाले गाँव के एक सरकारी स्कूल के दलित छात्रों के एक समूह ने अपने उच्च जाति के सहपाठियों तथा शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले भेदभाव एवं उत्पीड़न की शिकायत करते हुए आपसे संपर्क किया है।

इन छात्रों का आरोप है कि उन्हें अक्सर अलग बैठाने तथा सामान्य जल स्रोत का उपयोग करने की अनुमति न देने के साथ साथियों एवं शिक्षकों द्वारा उनके प्रति मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया जाता है। वे यह भी दावा करते हैं कि परीक्षा में उन्हें उच्च जाति के समकक्षों की तुलना में कम ग्रेड दिये जाते हैं।

जाँच करने पर आपको पता चलता है कि उपर्युक्त आरोप सही हैं तथा इस स्कूल में दलित छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह बना हुआ है। उच्च जाति के सदस्यों के प्रभुत्व वाला यह स्कूल प्रबंधन "परंपरा" एवं "सामाजिक मानदंडों" का हवाला देते हुए इस मुद्दे को हल करने के प्रति भी अनिच्छुक है।

ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में आप इस स्कूल के जातिगत भेदभाव का समाधान करने के क्रम में इस स्थिति से नैतिक तथा प्रभावी ढंग से किस प्रकार निपटेंगे? दलित छात्रों हेतु न्याय सुनिश्चित करने तथा स्कूल में अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत माहौल सुनिश्चित करने के क्रम में आप क्या कदम उठाएंगे?

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- समाज में जातिगत भेदभाव को बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- बताइए कि स्कूल में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में इस स्थिति से नैतिक और प्रभावी ढंग से किस प्रकार निपटेंगे।
- दलित छात्रों हेतु न्याय सुनिश्चित करने के साथ अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने के लिये उठाए जाने वाले कदमों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कानूनी प्रावधानों एवं सकारात्मक नीतियों के बावजूद जातिगत भेदभाव एक चुनौती बना हुआ है। यह केस स्टडी एक सरकारी स्कूल में दलित छात्रों के प्रति उच्च जाति के सहपाठियों एवं शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले भेदभाव तथा उत्पीड़न से संबंधित है।

रोहित वेमुला (दलित स्कॉलर) द्वारा भेदभाव के चलते की गई आत्महत्या, शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव का समाधान करने के क्रम में प्रणालीगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

नोट :

मुख्य भाग:

शामिल हितधारक:

- **दलित छात्र:** भेदभाव एवं उत्पीड़न के शिकार होने के कारण इनके शिक्षा और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन होता है।
- **उच्च जाति के छात्र एवं शिक्षक:** भेदभाव में संलग्न, सामाजिक पूर्वाग्रहों तथा मानदंडों से प्रभावित।
- **स्कूल प्रबंधन:** उच्च जाति के सदस्यों का वर्चस्व, सभी छात्रों के लिये अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार।
- **ज़िला प्रशासन:** ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में इन्हें ज़िले में न्याय, समानता तथा समावेशिता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **स्थानीय समुदाय:** सामाजिक मानदंडों एवं दृष्टिकोणों को प्रभावित करने के साथ इसकी जातिगत भेदभाव को दूर करने के प्रयासों के समर्थन या विरोध में भूमिका हो सकती है।

नैतिक मुद्दे:

- **अधिकारों का उल्लंघन:** दलित छात्रों को समान व्यवहार तथा अवसरों से वंचित करना समानता एवं सम्मान के उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
- **संस्थागत पूर्वाग्रह:** स्कूल प्रबंधन में निहित पूर्वाग्रह भेदभाव के साथ जाति-आधारित पदानुक्रम को मज़बूत करने हेतु उत्तरदायी है।
- **निष्क्रियता:** इस मुद्दे को हल करने में स्कूल प्रबंधन की विफलता तथा "परंपरा" एवं "सामाजिक मानदंडों" का हवाला देना भेदभाव को बनाए रखने में निष्क्रियता का संकेत देता है।
- **ज़िला मजिस्ट्रेट की नैतिक ज़िम्मेदारी:** ज़िले के सभी व्यक्तियों के लिये न्याय, निष्पक्षता एवं समानता के सिद्धांतों को बनाए रखने का दायित्व है।

स्कूल में जातिगत भेदभाव को हल करने का दृष्टिकोण:

- **मूल कारणों को समझना:**
  - स्कूल में जातिगत भेदभाव की सीमा एवं प्रकृति को समझने के लिये व्यापक जाँच आवश्यक है।
  - जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को बनाए रखने में योगदान देने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ के साथ ऐतिहासिक कारकों का विश्लेषण कीजिये।
  - स्कूल प्रबंधन तथा समुदाय के अंदर प्रणालीगत मुद्दों की पहचान करना आवश्यक है जो भेदभाव हेतु उत्तरदायी हैं।
- **हितधारकों के साथ समन्वय:**
  - जातिगत भेदभाव से निपटने के उद्देश्य से संबंधित चिंताओं को दूर करने तथा इस दिशा में पहल हेतु समर्थन जुटाने के लिये स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों के साथ संवाद तथा परामर्श करना महत्त्वपूर्ण है।
  - स्कूल के प्रबंधन में हाशिए पर स्थित समुदायों के प्रतिनिधित्व द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उनकी आवाज़ सुने जाने के साथ उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो सके।
  - जाति-आधारित असमानताओं से निपटने में संसाधनों तथा विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिये नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **विधिक प्रावधानों का प्रवर्तन:**
  - दलित छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे विधिक प्रावधानों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
  - भेदभाव की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिये स्कूल में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना आवश्यक है।
  - भेदभाव-विरोधी कानूनों एवं नीतियों के अनुपालन का आकलन करने के लिये नियमित निगरानी तथा निरीक्षण आवश्यक है।
    - भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन ने समावेशी शिक्षा नीतियों के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए, दलितों सहित हाशिए पर स्थित समुदायों के बीच नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि में भूमिका निभाई है।

दलित छात्रों के लिये न्याय सुनिश्चित करने तथा अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदम:

- **समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना:**
  - स्कूल में समावेशी प्रथाओं जैसे बच्चों के एक साथ बैठने की व्यवस्था, पाठ्येतर गतिविधियों में संयुक्त भागीदारी तथा मिलने वाली सुविधाओं तक साझा पहुँच को प्रोत्साहन देना निर्णायक है।
  - विभिन्न जातिगत पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच सकारात्मक बातचीत एवं सम्मान को बढ़ावा देने के क्रम में सहकर्मियों के बीच समन्वय आवश्यक है।
  - दलितों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के योगदान एवं अनुभवों को प्रतिबिंबित करने वाले समावेशी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों को अपनाना महत्त्वपूर्ण है।
    - **कर्नाटक मॉडल:** स्कूली पाठ्यक्रम में सामाजिक समावेशन जैसे अध्याय को शामिल करने की कर्नाटक सरकार की पहल का उद्देश्य छात्रों को जातिगत भेदभाव के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के साथ सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है।

नोट :

- **जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम:**
  - जातिगत भेदभाव के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये छात्रों, शिक्षकों एवं स्कूल प्रबंधन के लिये कार्यशालाएँ तथा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना आवश्यक है।
  - व्यक्तियों और समाज पर भेदभाव के प्रभाव को दर्शाने के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा केस अध्ययनों का उपयोग करना चाहिये।
  - जाति-आधारित पूर्वाग्रहों से संबंधित विमर्श को सुविधाजनक बनाने तथा सामाजिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न समुदाय के नेताओं को शामिल करना चाहिये।
    - महाराष्ट्र में 'बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (BARTI)' पहल: इसके तहत सामाजिक न्याय तथा समानता को बढ़ावा देने के लिये कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
- **जवाबदेहिता एवं उपचारात्मक उपाय:**
  - अनुशासनात्मक कार्रवाइयों या कानूनी उपायों के माध्यम से जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने के दोषी पाए गए व्यक्तियों या समूहों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है।
  - उन दलित छात्रों को सहायता एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करनी चाहिये, जिन्होंने भेदभाव के परिणामस्वरूप आघात या मनोवैज्ञानिक संकट का सामना किया है।
  - दलित छात्रों के प्रति शैक्षणिक असमानताओं तथा भेदभावपूर्ण प्रथाओं के प्रभाव को कम करने के लिये अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता एवं परामर्श कार्यक्रम जैसे उपचारात्मक उपायों को लागू करना चाहिये।
    - **अंबेडकर स्कूल:** तेलंगाना में अंबेडकर आवासीय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य हाशिए पर स्थित दलित छात्रों को निशुल्क शिक्षा के साथ आवास प्रदान करना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष:

स्कूलों में जातिगत भेदभाव का समाधान करने के क्रम में जागरूकता बढ़ाना, कानूनी प्रवर्तन, समावेशी प्रथाओं को अपनाना, हितधारक समन्वय के साथ जवाबदेही उपायों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। एक नैतिक एवं प्रभावी दृष्टिकोण अपनाकर, ज़िला मजिस्ट्रेट के रूप में शिक्षा में समानता, गरिमा और समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के क्रम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण तथा न्यायसंगत समाज के निर्माण में योगदान दिया जा सकता है।

प्रश्न: आप एक सेवा क्षेत्र में कार्यरत मध्यम आकार की कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक हैं। यह कंपनी विविध कार्यबल (जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक एवं लैंगिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं) को रोज़गार देती है। हाल ही में एक कर्मचारी, सुश्री A (जो तीन वर्ष से कंपनी में है) ने अपने तत्काल पर्यवेक्षक (श्री B) के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है।

सुश्री A का आरोप है कि मिस्टर B उनके प्रति अवांछित दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसमें उनकी शक्ल-सूरत के संबंध में अनुचित टिप्पणियाँ तथा अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल हैं। उनका कहना है कि ये घटनाएँ कई महीनों से चल रही हैं और इससे उनके लिये कार्य वातावरण प्रतिकूल हो गया है।

शिकायत प्राप्त होने पर आपने प्रारंभिक जांच की और आपको गवाहों के बयान तथा ईमेल के रूप में कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए। हालाँकि श्री B इन आरोपों को नकारते हुए दावा करते हैं कि सुश्री A के साथ उनका व्यवहार मित्रवत और पेशेवर था।

मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में आपको इस संवेदनशील मुद्दे को निष्पक्ष तरीके से निपटाने का कार्य सौंपा गया है। आपके कार्य से न केवल संबंधित व्यक्ति प्रभावित होंगे बल्कि कंपनी की समग्र कार्य संस्कृति तथा प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्त परिदृश्य में मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में अपने समक्ष आने वाली नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये। यौन उत्पीड़न की शिकायत का समाधान करने तथा पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं कानूनी और नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा तैयार कीजिये।

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- यौन उत्पीड़न का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मानव संसाधन प्रबंधक के समक्ष नैतिक दुविधाओं पर चर्चा कीजिये।
- यौन उत्पीड़न की शिकायत के समाधान के साथ पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

यौन उत्पीड़न लिंग-आधारित भेदभाव का एक रूप है जिसमें यौन संबंधों के लिये अनुरोध या कार्यस्थल पर यौन प्रकृति से संबंधित अन्य मौखिक या शारीरिक आचरण शामिल हैं। ऐसे व्यवहार से पीड़ित के लिये कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण, डर वाला या आपत्तिजनक वातावरण बनता है।

मुख्य भाग:

केस स्टडी के तथ्य:

- एक महिला कर्मचारी सुश्री A ने अपने तत्काल पर्यवेक्षक श्री B के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की है।
- सुश्री A का आरोप है कि श्री B उनके प्रति अवांछित दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क के साथ अनुचित टिप्पणियाँ शामिल हैं।
- ये घटनाएँ कई महीनों से जारी हैं, जिससे सुश्री A के लिये कार्य वातावरण प्रतिकूल बन गया है।
- मानव संसाधन प्रबंधक द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक जाँच में गवाहों के बयान के साथ ईमेल जैसे कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए।
- श्री B द्वारा इन आरोपों से इनकार करने के साथ दावा किया गया कि सुश्री A के साथ उनकी बातचीत मित्रवत और पेशेवर थी।

हितधारक:

- **सुश्री A:** शिकायतकर्त्ता, जिसने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है।
- **श्री B:** आरोपी, जो आरोपों से इनकार करता है।
- **मानव संसाधन प्रबंधक:** शिकायत को उचित और निष्पक्ष तरीके से निपटाने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **अन्य कर्मचारी:** कंपनी शिकायत का किस प्रकार समाधान करती है, इससे अन्य कर्मचारियों की कार्य संस्कृति के प्रति धारणा प्रभावित हो सकती है।
- **कंपनी:** इसकी प्रतिष्ठा और कार्य संस्कृति पर प्रश्न चिह्न लगा सकते है।
- **कानूनी प्राधिकारी:** यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी निहितार्थ एवं कानूनों के अनुपालन से संबंधित।

शामिल नैतिक मुद्दे:

- **निष्पक्षता:** यह सुनिश्चित करना कि शिकायतकर्त्ता और आरोपी दोनों के साथ उचित एवं निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।
- **गोपनीयता:** शिकायत और जाँच प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखना।
- **जवाबदेहिता:** आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को जवाबदेह ठहराना।
- **अनुपालन:** यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी एवं नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

नैतिक दुविधाएँ:

- **विरोधाभाषी दृष्टिकोण बनाम निष्पक्ष जाँच:** निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करते हुए सुश्री A और श्री B के प्रति विरोधाभाषी दृष्टिकोण को संतुलित करना।
- **कर्मचारी कल्याण बनाम शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण:** सुश्री A की भलाई सुनिश्चित करना, उस प्रतिकूल कार्य वातावरण को ध्यान में रखते हुए जिसे वह अनुभव करने का दावा कर रही है।
- **व्यावसायिकता बनाम व्यक्तिगत पूर्वाग्रह:** यह सुनिश्चित करते हुए जाँच प्रक्रिया में व्यावसायिकता बनाए रखना कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से परिणाम प्रभावित न हो।
- **कंपनी की प्रतिष्ठा बनाम आरोपों की पुष्टि करना:** आरोपों को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संबोधित करते हुए कंपनी की प्रतिष्ठा की रक्षा करना।
- **विधिक अनुपालन बनाम निशुल्क और निष्पक्ष कार्रवाई:** श्री B के लिये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

विधिक एवं नैतिक मानकों के अनुरूप शिकायत का समाधान:

- **त्वरित कार्रवाई:**
  - शिकायत प्राप्त होने के बाद मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सुश्री A को आवश्यक सहायता तथा परामर्श प्रदान किया जाए।
  - आगे की घटनाओं को रोकने के लिये श्री B को सुश्री A के ऊपर किसी भी पर्यवेक्षी भूमिका से अस्थायी रूप से हटा दिया जाना चाहिये।
  - यौन उत्पीड़न के प्रति कंपनी की शून्य-सहिष्णुता नीति पर बल देते हुए सभी कर्मचारियों को एक आधिकारिक संचार भेजा जाना चाहिये।
- **जाँच पड़ताल:**
  - आरोपों की गहन एवं निष्पक्ष जाँच करना, जिसमें गवाहों का साक्षात्कार और सबूतों की समीक्षा शामिल है।
  - सुश्री A और श्री B को अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा अपने बचाव में कोई सबूत या गवाह प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये।
    - वर्ष 2017 में उबर से संबंधित यौन उत्पीड़न मामले के कारण इसके CEO एवं अन्य कई अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा। इन शिकायतों के प्रभावी समाधान न होने तथा जवाबदेहिता की कमी के कारण इस कंपनी को आलोचना का सामना करना पड़ा।

नोट :

- **निर्णय लेना:**
  - जाँच के निष्कर्षों के आधार पर शिकायत की वैधता के संबंध में निर्णय लिया जाना चाहिये।
  - कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 और कंपनी की नीतियों का पालन करना चाहिये।
  - यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो श्री B के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये, जिसमें बर्खास्तगी या पदावनति शामिल हो सकती है।
  - यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये कि सुश्री A के खिलाफ कोई प्रतिशोध न हो।
- **निवारक उपाय:**
  - यौन उत्पीड़न एवं कंपनी की नीतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये सभी कर्मचारियों हेतु नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना चाहिये।
  - यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिये कर्मचारियों हेतु एक स्पष्ट रिपोर्टिंग तंत्र लागू करना आवश्यक है।
- **अनुवर्ती और निगरानी:**
  - शिकायत के समाधान के बाद सुश्री A से पूछताछ करते रहना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह कार्यस्थल में सुरक्षित महसूस करें।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य वातावरण की निगरानी करते रहना आवश्यक है कि आगे यौन उत्पीड़न की कोई घटना न हो।
    - माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने यौन उत्पीड़न से निपटने के लिये मज़बूत नीतियाँ और तंत्र लागू किये हैं, जिसमें घटनाओं की गोपनीय रिपोर्टिंग के लिये एक हॉटलाइन भी शामिल है।

निष्कर्ष:

यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिये सहानुभूति एवं व्यावसायिकता के साथ विधिक और नैतिक मानकों के बीच तार्किक संतुलन की आवश्यकता है। मानव संसाधन प्रबंधक के रूप में सकारात्मक कार्य संस्कृति तथा कंपनी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिये इस मामले में गहन जाँच करना, पीड़ित के कल्याण को प्राथमिकता देना तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न: जनमत एवं राजनीतिक विमर्श को आकार देने में सोशल मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। नैतिक मानकों को बनाए रखने के क्रम में इसके दुरुपयोग को किस प्रकार कम किया जा सकता है? (250 शब्द)

Analyse the role of social media in shaping public opinion and political discourse. How can its misuse be mitigated to uphold ethical standards? (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सोशल मीडिया के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- जनमत एवं राजनीतिक विमर्श को आकार देने में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिये सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कम करने पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

समकालीन समाज में जनमत तथा राजनीतिक विमर्श को आकार देने में सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। अपनी व्यापक पहुँच के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोक भावनाओं को प्रभावित करने के साथ राजनीतिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मुख्य भाग:

जनमत को आकार देना:

- **दृष्टिकोण पर प्रभाव:**
  - सोशल मीडिया प्लेटफार्म ऐसे आभासी मंचों के रूप में कार्य करते हैं जहाँ व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करने एवं जानकारी साझा करने के साथ विमर्श में शामिल होते हैं।
  - ये अंत:क्रियाएँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दों के प्रति धारणाओं और दृष्टिकोणों को आकार देकर जनमत के निर्धारण में योगदान करती हैं।
- **लोगों की आकाँक्षाओं को प्रबल करना:**
  - सोशल मीडिया द्वारा हाशिए पर स्थित समुदायों को अपनी आकाँक्षाओं को व्यक्त करने का मंच मिलता है, जिससे प्रासंगिक मुद्दों पर उन्हें अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिलता है।

नोट :

- #ब्लैकलाइव्समैटर और #मीटू जैसे आंदोलनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रणालीगत अन्याय को उजागर करने के साथ सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में भूमिका निभाई।

- वास्तविक समय सूचना प्राप्त होना:
  - सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का तीव्र प्रसार होता है, जिससे नागरिकों को वास्तविक समय में वर्तमान घटनाओं एवं राजनीतिक विकास के बारे में सूचित रहने में मदद मिलती है।
  - इससे सार्वजनिक चर्चा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी की सुविधा मिलती है।

राजनीतिक विचार-विमर्श:

- **संवाद का लोकतंत्रीकरण:**
  - सोशल मीडिया, संचार की पारंपरिक बाधाओं को तोड़कर राजनीतिक विचार-विमर्श का लोकतंत्रीकरण करता है।
  - इससे राजनेताओं एवं लोगों के बीच प्रत्यक्ष जुड़ाव सक्षम होने के साथ शासन में संवादात्मक संवाद और पारदर्शिता बढ़ती है।
- **प्रचार और लामबंदी:**
  - राजनेता प्रचार एवं समर्थन जुटाने के लिये सोशल मीडिया का रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं।
  - ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म वर्चुअल कैंपेन ट्रेल के रूप में कार्य करते हैं, जहाँ उम्मीदवार अधिक लोगों तक तक पहुँच सकते हैं।
- **एजेंडा निर्धारण:**
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक एजेंडा तय करने के साथ सार्वजनिक बहस में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर विषय-वस्तु की लोकप्रियता से पता चलता है कि कौन से मुद्दे ध्यान आकर्षित करते हैं तथा उन्हें मीडिया में कैसे चित्रित किया जाता है।

दुरुपयोग को कम करने के उपाय:

- **तथ्य-जाँच प्रणाली:**
  - मज़बूत तथ्य-जाँच प्रणाली को लागू करने से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गलत सूचना और दुष्प्रचार का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है।
  - तकनीकी कंपनियों, स्वतंत्र तथ्य-जाँचकर्त्ताओं एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग से ऑनलाइन साझा की गई विषय-वस्तु की सटीकता को सत्यापित किया जा सकता है।
- **सुदृढ़ीकरण विनियम:**
  - सरकारों और नियामक निकायों को हानिकारक विषय-वस्तु के प्रसार को कम करने के लिये सोशल मीडिया कंपनियों को जवाबदेह बनाने हेतु कानून बनाना एवं लागू करना चाहिये।
  - यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) जैसे उपायों का उद्देश्य उपयोगकर्त्ता की गोपनीयता की रक्षा करना तथा ऑनलाइन दुरुपयोग से निपटना है।
- **डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:**
  - डिजिटल साक्षरता पहल में निवेश करने से उपयोगकर्त्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने हेतु सशक्त बनाया जा सकता है।
  - व्यक्तियों को मीडिया साक्षरता, स्रोत मूल्यांकन एवं ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने से उन्हें डिजिटल परिदृश्य को ज़िम्मेदारी से समझने में मदद मिल सकती है।

नैतिक मानकों को कायम रखना:

- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:**
  - सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी विषय-वस्तु मॉडरेशन प्रथाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को प्राथमिकता देनी चाहिये।
  - स्पष्ट दिशा-निर्देश, अपील प्रक्रियाएँ और प्रवर्तन कार्रवाइयों पर नियमित रिपोर्टिंग से विश्वास को बढ़ावा मिलने के साथ नैतिक मानकों को बनाए रखा जा सकता है।
- **नैतिक डिज़ाइन सिद्धांत:**
  - नैतिक डिज़ाइन सिद्धांतों को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म सहभागिता मेट्रिक्स पर उपयोगकर्त्ता के कल्याण के साथ सामाजिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
  - एल्गोरिथम पारदर्शिता, सामग्री प्रदर्शन पर उपयोगकर्त्ता नियंत्रण तथा डेटा संग्रह पर सीमाओं से इसके नैतिक उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।
- **सहयोगात्मक प्रयास:**
  - सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिये सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, तकनीकी कंपनियों एवं उपयोगकर्त्ताओं सहित हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।
  - बहुहितधारक संवाद एवं साझेदारियाँ ज़िम्मेदार डिजिटल नागरिकता को बढ़ावा देने के लिये समग्र समाधानों के विकास की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।

नोट :

निष्कर्ष:

सोशल मीडिया का प्रभाव जनमत एवं राजनीतिक विमर्श के साथ सामाजिक परिवर्तन पर पड़ता है। हालाँकि सकारात्मक प्रभाव की इसकी क्षमता निर्विवाद है लेकिन नैतिक मानकों को बनाए रखने तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये सोशल मीडिया के दुरुपयोग को कम किया जाना आवश्यक है। गलत सूचना से निपटने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने तथा हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उपायों को लागू करके, सामाजिक कल्याण हेतु सोशल मीडिया की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

प्रश्न: सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में कॉर्पोरेट लॉबिंग के नैतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। ऐसे विमर्श में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपाय बताइये। (250 शब्द)

Discuss the ethical implications of corporate lobbying in influencing government policies. Suggest measures to ensure transparency and accountability in such interactions. (250 Words)

उत्तर:

हल करने का दृष्टिकोण:

- कॉर्पोरेट लॉबिंग शब्द का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में कॉर्पोरेट लॉबिंग के नैतिक निहितार्थों का वर्णन कीजिये।
- कॉर्पोरेट लॉबिंग में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

कॉर्पोरेट लॉबिंग (निगम के हितों को लाभ पहुँचने के लिये सरकारी निर्णयों, नीतियों एवं विनियमों को प्रभावित करने की प्रणाली) से प्रमुख नैतिक चिंताओं को जन्म मिलता है। व्यवसायों के लिये लॉबिंग, चिंताओं को व्यक्त करने का एक वैध तरीका हो सकता है लेकिन नीति निर्माताओं पर शक्तिशाली निगमों के अनुचित प्रभाव से ऐसी नीतियों को जन्म मिल सकता है जिससे सार्वजनिक कल्याण की तुलना में निगम के लाभ को प्राथमिकता मिलती हो।

मुख्य भाग:

कॉर्पोरेट लॉबिंग के नैतिक निहितार्थ:

- **असमानता और अनुचित लाभ:**
  - पर्याप्त संसाधनों वाले निगम अपने हित में लॉबिंग कर सकते हैं, जिससे असमानता बढ़ने के साथ सक्षम लोगों का प्रभाव अधिक हो सकता है।
  - इस असमानता के परिणामस्वरूप ऐसी नीतियाँ बन सकती हैं जो छोटे व्यवसायों के साथ आम लोगों की कीमतों पर निगमों को लाभ पहुँचाती हों।
- **हितों का टकराव:**
  - कॉरपोरेट लॉबिस्ट अक्सर सरकारी पदों एवं निजी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, जिससे हितों के टकराव की चिंता बढ़ जाती है।
  - इससे निर्णय निर्माता लोगों के कल्याण के बजाय कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे लोगों का सरकारी संस्थानों पर भरोसा कम हो सकता है।
- **लोकतंत्र का कमज़ोर होना:**
  - कॉर्पोरेट क्षेत्रक के अधिक प्रभाव से व्यापक लोक हित के बजाय, संकीर्ण कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में नीतिगत परिणाम रहने से लोकतांत्रिक सिद्धांत कमज़ोर हो सकते हैं।
  - इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों के विश्वास में कमी आने के साथ यह धारणा बन सकती है कि सरकार, लोगों के हितों के बजाय कॉर्पोरेट हितों पर ध्यान देती है।
- **लोक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रभाव:**
  - तंबाकू, फार्मास्यूटिकल्स और जीवाश्म ईंधन जैसे उद्योगों के लॉबिंग प्रयासों को लोक स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली नीतियों से जोड़ा गया है।
  - उदाहरण के लिये, सख्त नियमों के खिलाफ तंबाकू उद्योग के लॉबिंग प्रयासों को धूम्रपान की बढ़ती दरों के साथ संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों से जोड़ा गया है।

पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपाय:

- **अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ:**
  - सरकार द्वारा निगमों की लॉबिंग गतिविधियों को पारदर्शी करने का प्रावधान किया जा सकता है, जिसमें वे मुद्दे (जिन पर लॉबिंग की जा रही है) और वे संसाधन (इन प्रयासों के लिये समर्पित) भी शामिल हैं।
  - इस पारदर्शिता से हितों के संभावित टकराव की पहचान करने में मदद मिलने के साथ यह सुनिश्चित हो सकता है कि लॉबिंग गतिविधियाँ नैतिक रूप से संचालित हों।
  - Google द्वारा पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जिससे उसकी लॉबिंग गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी (संबंधित मुद्दों एवं खर्च की गई राशि) मिलती है।
    - पारदर्शिता के इस स्तर से लोगों के बीच विश्वास हासिल करने में मदद मिलने के साथ नैतिक पैरवी प्रथाओं के प्रति निगम की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।

नोट :

- **लॉबिंग गतिविधियों का विनियमन:**
  - ऐसे नियमों को लागू किया जाना चाहिये जो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट के प्रभाव को सीमित करते हैं, जैसे कि खर्च पर सीमा या नीति निर्माताओं को उपहार देने पर प्रतिबंध लगाना।
  - इससे निगमों के बीच संतुलन बनाने के साथ अनुचित प्रभाव के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **स्वतंत्र निरीक्षण और निगरानी:**
  - लॉबिंग गतिविधियों की निगरानी करने एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र निरीक्षण निकायों की स्थापना करनी चाहिये।
  - ये निकाय अनैतिक व्यवहार की शिकायतों की जाँच करने के साथ उल्लंघन के लिये दंड आरोपित कर सकते हैं।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित, हॉनेस्ट एड एक्ट का उद्देश्य ऑनलाइन राजनीतिक विज्ञापन में पारदर्शिता बढ़ाना है।
    - इस अधिनियम द्वारा राजनीतिक विज्ञापनों तथा उनके पीछे की संस्थाओं का सार्वजनिक डेटाबेस बनाए रखने के लिये ऑनलाइन प्लेटफार्म को आवश्यक बनाया गया है, जिससे चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने में मदद मिल सके।
- **नैतिक प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश:**
  - नैतिक मुद्दों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये नीति निर्माताओं तथा संबंधित हितधारकों को नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिये।
  - लॉबिंग गतिविधियों के लिये नैतिक दिशा-निर्देशों को विकसित एवं लागू करना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संगठन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हों।

निष्कर्ष:

हालाँकि कॉर्पोरेट लॉबिंग नीति निर्माण प्रक्रिया में एक वैध भूमिका निभा सकती है, लेकिन इससे जुड़ी नैतिक चिंताओं को दूर करना आवश्यक है। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करके सरकारें, कॉर्पोरेट लॉबिंग के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना सुनिश्चित कर सकती हैं।

प्रश्न: प्रभावी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिये। समाज में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और पोषण किस प्रकार किया जा सकता है? (250 शब्द)

Discuss the role of emotional intelligence in effective leadership. How can emotional intelligence be developed and nurtured in individuals? (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- प्रभावी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका पर चर्चा कीजिये।
- विश्लेषण कीजिये कि व्यक्तियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कैसे विकसित और पोषित की जा सकती है।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) (जिसे अक्सर इमोशनल कोशेंट (EQ) के रूप में जाना जाता है) स्वयं और दूसरों में भावनाओं को प्रभावी ढंग से देखने, समझने, प्रबंधित करने एवं व्यक्त करने की क्षमता है। इसमें कौशल का एक समूह शामिल है जो व्यक्तियों को सामाजिक जटिलताओं से निपटने, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने, दूसरों के साथ समानुभूति रखने तथा विचारशील निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

मुख्य भाग :

नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्त्व:

- **बेहतर पारस्परिक संबंध:** उच्च EI वाले नेतृत्वकर्त्ता अपनी टीम के सदस्यों के साथ समानुभूति रख सकते हैं, जिससे टीम के भीतर मज़बूत संबंध, विश्वास और सहयोग स्थापित होता है।
- **प्रभावी संचार:** EI, नेतृत्वकर्त्ताओं को उनके संदेशों की भावनात्मक सूक्ष्मताओं को समझने के साथ उनके प्रेषण को समायोजित करके प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्पष्ट एवं प्रभावशाली संचार होता है।
- **संघर्ष समाधान:** उच्च EI वाले नेतृत्वकर्त्ता परस्पर विरोधी पक्षों के साथ समानुभूति रखकर, अंतर्निहित भावनाओं को समझकर एवं प्रभावी संचार तथा बातचीत के माध्यम से समाधान की सुविधा प्रदान करके रचनात्मक रूप से संघर्षों का प्रबंधन कर सकते हैं।
- **निर्णय लेने की क्षमता:** भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्वकर्त्ताओं को न केवल तर्कसंगत कारकों बल्कि उनकी पसंद के भावनात्मक प्रभावों और परिणामों पर भी विचार करके अच्छी तरह से संतुलित निर्णय लेने की क्षमता से लैस करती है।
  - भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर डैनियल गोलेमैन के मौलिक कार्य ने नेतृत्व प्रभावशीलता में इसके महत्त्व पर प्रकाश डाला है।
- **अनुकूलन और तनाव प्रबंधन:** उच्च EI वाले नेतृत्वकर्त्ता चुनौतीपूर्ण समय के दौरान तनाव एवं असफलताओं का अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने के साथ संयम बनाए रख सकते हैं तथा अपनी टीमों को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं।

नोट :

- गूगल ने पाया कि उसके सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले प्रबंधकों में EI का उच्च स्तर था, जिससे उन्हें अपने प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण को शामिल करने के लिये प्रेरणा मिली।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास और पोषण:

- **आत्म-जागरूकता:** नेतृत्वकर्त्ताओं को भावनाओं, शक्तियों, कमज़ोरियों एवं चुनौतियों को समझने के लिये आत्म-चिंतन तथा आत्मनिरीक्षण में संलग्न होने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। मेडिटेशन जैसे अभ्यास से आत्म-जागरूकता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **आत्म-नियमन:** नेतृत्वकर्त्ताओं को अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिये तनाव प्रबंधन तकनीकों, आवेग नियंत्रण तथा गहरी साँस लेने के व्यायाम के साथ संज्ञानात्मक रीफ्रेमिंग जैसी भावनात्मक विनियमन रणनीतियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है।
- **समानुभूति:** विभिन्न दृष्टिकोणों, सक्रिय श्रवण तथा समानुभूति को बढ़ावा देने के माध्यम से नेतृत्वकर्त्ताओं को दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उन्हें मान्यता देने की प्रेरणा मिलती है।
  - दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से लोकतंत्र की ओर संक्रमण के दौरान मंडेला का असाधारण नेतृत्व प्रतिकूल परिस्थितियों में मेल-मिलाप, समानुभूति तथा अनुकूलन को बढ़ावा देने में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शक्ति का परिचायक है।
- **सामाजिक कौशल:** नेटवर्किंग, टीम वर्क और मेंटरशिप के साथ-साथ प्रभावी संचार, संघर्ष समाधान तथा विमर्श तकनीकों में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के क्रम में नेतृत्वकर्त्ताओं के सामाजिक कौशल का विकास करना आवश्यक है।
  - अपनी प्रसिद्ध तकनीकी प्रतिभा के बावजूद, एप्पल में स्टीव जॉब्स के नेतृत्व की सफलता का श्रेय कुछ हद तक उनकी उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता (विशेष रूप से अपने जुनून एवं दूरदर्शिता के माध्यम से अपनी टीम को प्रेरित करने की उनकी क्षमता) दिया जा सकता है।
- **निरंतर सीखने की प्रक्रिया एवं प्रतिक्रिया:** निरंतर सीखने की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया की संस्कृति को प्रोत्साहित करना आवश्यक है जिससे नेतृत्वकर्त्ताओं को उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता दक्षताओं पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष:

भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रभावी नेतृत्व में बहुआयामी भूमिका है। इससे पारस्परिक संबंध, संचार, निर्णय लेने की क्षमता, संघर्ष समाधान तथा अनुकूलन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। आत्म-जागरूकता, आत्म-नियमन, समानुभूति, सामाजिक कौशल तथा निरंतर सीखने के माध्यम से व्यक्तियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पोषण करके, वर्तमान के जटिल और गतिशील विश्व में सकारात्मक दृष्टिकोण वाले नेतृत्वकर्त्ताओं की एक नई पीढ़ी का विकास हो सकता है।

प्रश्न: शासन में नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। इससे लोक प्रशासन में जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित होती है? उदाहरण सहित समझाइये। (250 शब्द)

Discuss the significance of probity in governance. How does it ensure accountability and transparency in public administration? Explain with examples. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण :

- नैतिकता/ईमानदारी का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- शासन में सत्यनिष्ठा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिये।
- मूल्यांकन कीजिये कि इससे लोक प्रशासन में जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित होती है।
- यथोचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शासन में ईमानदारी का तात्पर्य सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा निर्णय निर्माण तथा कार्यों में उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने के साथ ईमानदारी के पालन से है। सरकार में लोगों का विश्वास बनाए रखने तथा सार्वजनिक प्रशासन की कुशल कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है।

मुख्य भाग:

शासन में ईमानदारी का महत्त्व:

- **नैतिक मानकों को बनाए रखना:**
  - ईमानदारी से यह सुनिश्चित होता है कि लोक अधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नैतिक मानकों का पालन करते हैं, जिससे शासन में निष्पक्षता तथा न्याय को बढ़ावा मिल सके।
  - इसमें हितों के टकराव से बचना, निष्पक्षता तथा विधि का शासन बनाए रखना शामिल है।
- **जन विश्वास का निर्माण:**
  - अपनी ईमानदारी के लिये जानी जाने वाली सरकार अपने नागरिकों का भरोसा और विश्वास हासिल करती है, जिससे उसके कार्यों की वैधता बढ़ती है।

नोट :

- जब नागरिकों को विश्वास होता है कि लोक अधिकारी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने तथा सरकारी नीतियों का अनुपालन करने की अधिक संभावना होती है।
- भारत में सत्यम घोटाले ने शासन में ईमानदारी के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। इसमें सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के चेयरमैन द्वारा राजस्व और मुनाफा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने के लिये खातों में हेरा-फेरी करना शामिल था।

- **भ्रष्टाचार पर अंकुश:**
  - ईमानदारी, जवाबदेहिता की संस्कृति का निर्माण करके भ्रष्टाचार को रोकने में भूमिका निभाती है।
  - जब लोक अधिकारियों द्वारा उच्च नैतिक मानकों को अपनाया जाता है, तो उनके रिश्वतखोरी, गबन या भाई-भतीजावाद जैसी भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने की संभावना कम होती है।
  - भारत में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना का उद्देश्य लोक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करके शासन में ईमानदारी बढ़ाना है।

जवाबदेहिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना:

- **पारदर्शिता:**
  - ईमानदारी से निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आती है। उदाहरण के लिये, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी बनाने के साथ लोक अधिकारियों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह बनाने में मदद की है।
  - ई-गवर्नेंस पहल (जैसे सरकारी सेवाओं और ई-खरीद के लिये ऑनलाइन पोर्टल) से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ नागरिकों एवं अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय बढ़ने से भ्रष्टाचार में कमी आती है।
- **सरकार को जवाबदेह ठहराना:**
  - ईमानदारी से सरकारी कार्यों की पारदर्शी जाँच को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिये, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सरकारी व्ययों का ऑडिट करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थापित प्रक्रियाओं एवं मानदंडों के अनुरूप हैं।
  - न्यूज़ीलैंड में ईमानदारी और आचरण आयुक्त, लोक अधिकारियों के नैतिक आचरण की देख-रेख करने के साथ कदाचार की शिकायतों की जाँच करते हैं।
  - सार्वजनिक क्षेत्र में नैतिक व्यवहार तथा जवाबदेहिता को बढ़ावा देकर आयुक्त, पारदर्शी शासन प्रणाली में भूमिका निभाते हैं।

- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण:**
  - भ्रष्टाचार या गलत कार्यों को उजागर करने वाले व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा करना, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
  - भारत में व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2011, व्हिसलब्लोअर्स को उत्पीड़न से बचाने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।
- **स्वतंत्र निरीक्षण निकाय:**
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) जैसे स्वतंत्र निरीक्षण निकाय भ्रष्टाचार एवं कदाचार के मामलों की जाँच करके लोक प्रशासन में जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन में जवाबदेहिता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये शासन में सत्यनिष्ठा आवश्यक है। इससे शासन में लोगों का विश्वास बढ़ने के साथ भ्रष्टाचार में कमी आती है तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है। उपर्युक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि लोक अधिकारियों को जवाबदेह बनाने तथा सुशासन सुनिश्चित करने में सत्यनिष्ठा किस प्रकार सहायक हो सकती है।

प्रश्न: समकालीन सामाजिक मूल्यों पर स्वामी विवेकानन्द के नैतिक दर्शन के प्रभाव को बताते हुए नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिये। (250 शब्द)

Elucidate the impact of Swami Vivekananda's moral philosophy on contemporary societal values and its relevance in fostering ethical leadership. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- स्वामी विवेकानंद और उनके नैतिक दर्शन का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- समकालीन सामाजिक मूल्यों पर स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने में स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

स्वामी विवेकानंद, एक प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक नेता और दार्शनिक, 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे

नोट :

प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के रूप में उभरे। उनकी शिक्षाएँ और दर्शन सार्वभौमिकता के तत्त्वों के साथ संयुक्त, शास्त्रीय योग एवं अद्वैत वेदांत के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कुशलतापूर्वक धर्म को राष्ट्रवाद के साथ मिश्रित किया तथा इस पुनर्व्याख्या को भारत में शिक्षा, आस्था, चरित्र विकास और सामाजिक मुद्दों सहित कई क्षेत्रों में लागू किया।

मुख्य भाग:

स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन का समकालीन सामाजिक मूल्यों पर प्रभाव:

- **सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा:** विवेकानंद ने सत्यता, करुणा और मानवता की सेवा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर ज़ोर दिया। उनकी शिक्षाएँ व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में इन मूल्यों को बनाए रखने, समकालीन समाज में सहानुभूति, परोपकारिता तथा सामाजिक ज़िम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिये प्रेरित करती हैं।
- **सामाजिक न्याय और समानता का समर्थन:** विवेकानंद सामाजिक न्याय और समानता के कट्टर समर्थक थे, उन्होंने जाति, पंथ या लैंगिक आधार पर भेदभाव की निंदा की। उनकी शिक्षाएँ समाज के सभी सदस्यों के लिये समान अधिकारों, न्याय और अवसरों के लिये संघर्ष करने वाले व्यक्तियों एवं आंदोलनों को प्रेरित करती हैं।
- **विविधता और बहुलवाद को अपनाना:** विवेकानंद ने मानवीय अनुभवों में विविधता का वर्णन किया और विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों एवं दृष्टिकोणों को अपनाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया। उनकी शिक्षाएँ सहिष्णुता, स्वीकृति और विविधता के प्रति सम्मान के साथ ही बहुसांस्कृतिक समाजों में समावेशिता तथा सद्भाव को बढ़ावा देती हैं।
- **नैतिक नेतृत्व के लिये प्रेरणा:** निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण पर विवेकानंद का ज़ोर विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन नेताओं के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। उनकी शिक्षाएँ नैतिक नेतृत्व को प्रेरित करती हैं जो विनम्रता, सहानुभूति और व्यक्तिगत लाभ या शक्ति के बजाय सामान्य हितों की सेवा करने की प्रतिबद्धता से प्रेरित होती है।
- **आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की उर्वरता (Cultivation):** विवेकानंद ने आत्मसंतुष्टि प्राप्त करने और जीवन की चुनौतियों पर काबू पाने के साधन के रूप में आंतरिक शक्ति, लचीलेपन एवं आत्म-प्राप्ति के महत्त्व पर ज़ोर दिया। उनकी शिक्षाएँ व्यक्तियों को समकालीन जीवन की जटिलताओं से निपटने में साहस, दृढ़ता और आध्यात्मिक लचीलापन जैसे गुण विकसित करने के लिये प्रेरित करती हैं।
- **वैश्विक प्रभाव और विरासत:** विवेकानंद की शिक्षाओं ने भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे विश्व भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। सार्वभौमिक प्रेम, सेवा एवं आध्यात्मिक जागृति का उनका संदेश विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच प्रभावी रहा है, जो आध्यात्मिकता, नैतिकता और मानवीय अनुभव की समकालीन समझ को आकार देता है।

नैतिक नेतृत्व को बढ़ावा देने में स्वामी विवेकानंद के नैतिक दर्शन की प्रासंगिकता:

- **सेवा-उन्मुख नेतृत्व:** विवेकानंद ने आध्यात्मिक विकास और सामाजिक उत्थान के साधन के रूप में निस्वार्थ सेवा (सेवा) के महत्त्व पर ज़ोर दिया। विवेकानंद के दर्शन से निर्देशित नैतिक नेता व्यक्तिगत लाभ या महत्त्वाकांक्षा से परे दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं तथा अपने घटकों और समुदायों के हित पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **समावेशी नेतृत्व:** विवेकानंद ने मानवीय अनुभवों की विविधता का वर्णन किया साथ ही विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और दृष्टिकोणों को अपनाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया। नैतिक नेतृत्व के तहत नेता अपने संगठनों या समुदायों के भीतर समावेशिता एवं विविधता की भावना के साथ ही विविध दृष्टिकोण तथा अनुभवों के माध्यम से नवाचार, रचनात्मकता व सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।
- **साहसी और लचीला नेतृत्व:** विवेकानंद ने व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिये आंतरिक शक्ति, साहस और लचीलापन विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया। नैतिक नेतृत्वकर्त्ता अपने सिद्धांतों के लिये खड़े होने, न्याय का समर्थन करने और आवश्यक होने पर यथास्थिति को चुनौती देने में साहस का प्रदर्शन करते हैं। वे नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहते हुए, बाधाओं एवं असफलताओं पर काबू पाने में भी लचीलापन प्रदर्शित करते हैं।
- **आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान देना:** विवेकानंद प्रभावी नेतृत्व के लिये आंतरिक परिवर्तन और आत्म-बोध की शक्ति को एक शर्त मानते थे। नैतिक नेतृत्वकर्त्ता आत्म-जागरूकता, आत्मनिरीक्षण एवं व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देते हैं, यह मानते हुए कि नैतिक नेतृत्व स्वयं की और अपने मूल्यों की गहरी समझ से शुरू होता है।

निष्कर्ष:

नैतिक नेतृत्वकर्त्ता उदाहरण प्रस्तुत करके नेतृत्व करते हैं, अपने द्वारा बताए गए मूल्यों को अपनाते हैं और अपने शब्दों, कार्यों तथा सकारात्मक बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करते हैं। विवेकानंद की शिक्षाएँ नेताओं को भविष्य के लिये एक सम्मोहक दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिये प्रेरित करती हैं और दूसरों को उस दृष्टिकोण को साकार करने में उनके साथ शामिल होने के लिये प्रेरित करती हैं।

नोट :

प्रश्न: सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेहिता पर बल देते हुए निजी तथा सार्वजनिक संबंधों को संतुलित करने में नैतिक दृष्टिकोण के महत्त्व एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। अपने तर्कों के समर्थन में उदाहरण दीजिये। (250 शब्द)

Discuss the ethical considerations and challenges in balancing private and public relationships, emphasizing integrity and accountability. Provide examples to support your arguments. (250 Words)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- निजी और सार्वजनिक संबंधों की अवधारणा का संक्षेप में परिचय लिखिये।
- निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिक विचारों पर चर्चा कीजिये।
- निजी और सार्वजनिक संबंधों को संतुलित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

- निजी संबंधों में नैतिकता के मामले में व्यक्तिगत या गैर-पेशेवर व्यक्तियों के बीच संवाद और व्यवहार शामिल होता है। इन संबंधों में परिवारों के बीच बातचीत, दोस्ती, रोमांटिक साझेदारी या सामाजिक दायरे शामिल हो सकते हैं।
- सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता शासन, सार्वजनिक सेवा, पेशेवर ज़िम्मेदारियों या अन्य संदर्भों के दायरे में संवाद और आचरण से संबंधित है, जहाँ व्यक्ति व्यापक समुदाय या समाज पर अधिकार या प्रभाव की स्थिति रखते हैं।
- हालाँकि निजी और सार्वजनिक दोनों संबंधों में नैतिक विचार शामिल होते हैं, लेकिन उनका दायरा एवं प्रभाव इन दोनों डोमेन के बीच महत्त्वपूर्ण रूप से भिन्न होता है।

मुख्य भाग:

निजी और सार्वजनिक संबंधों में प्रमुख नैतिक विचार:

निजी जीवन में नैतिक विचार	सार्वजनिक जीवन में नैतिक विचार
व्यक्तिगत नैतिकता: निजी संबंधों में व्यक्ति किसी व्यक्ति के सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों के आंतरिक समूह पर अधिक भरोसा कर सकते हैं।	**वस्तुनिष्ठता:** इसका तात्पर्य व्यक्तिगत भावनाओं, पूर्वाग्रहों या राय से प्रभावित हुए बिना तथ्यों और जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता से है।
सामाजिक मानदंड: ये समाज के भीतर व्यापक रूप से स्वीकृत नियम या अपेक्षाएँ हैं, जो व्यक्तियों के निजी व्यवहार को निर्देशित और विनियमित करते हैं।	**सार्वजनिक हित:** सार्वजनिक जीवन को समाज पर व्यापक प्रभाव पर विचार करना चाहिये और समुदाय के हित को प्राथमिकता देनी चाहिये।
निजता: इसमें विश्वनीय संबंधों में गोपनीय मामलों की सुरक्षा शामिल है और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।	**खुलापन:** सार्वजनिक जीवन को अपने निर्णयों एवं कार्यों को खुले तौर पर साझा करके और जानकारी को रोकने को सीमित करके पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिये।
स्वायत्तता: इसमें व्यक्तियों की स्वायत्तता और विकल्पों को पहचानना एवं उनका सम्मान करना शामिल है।	**जवाबदेही:** सार्वजनिक संबंधों में समुदाय या हितधारकों के प्रति अधिक जवाबदेही शामिल होती है।
निष्ठा: यह संबंधों में आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है, विश्वसनीयता और आपसी समझ की नींव तैयार करता है।	**नि:स्वार्थता:** सार्वजनिक पद के धारकों को केवल सार्वजनिक हित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिये।
समर्थन: इसमें अपने करीबी लोगों को प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना शामिल है	**नेतृत्व:** यह सार्वजनिक संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिये नैतिक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है।

सार्वजनिक हित:

निजी और सार्वजनिक संबंधों को संतुलित करने में प्रमुख चुनौतियाँ:

- **सत्यनिष्ठा से समझौता:** सार्वजनिक भूमिकाओं में व्यक्तियों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ उनके व्यक्तिगत संबंध या वित्तीय हित लोकहित में कार्य करने के दायित्वों के विपरीत होते हैं। अखंडता या निष्पक्षता से समझौता किये बिना इन परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करना असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - **उदाहरण:** एक सरकारी अधिकारी जो किसी सार्वजनिक अनुबंध के लिये बोली लगाने वाली कंपनी में शेयर रखता है, उसे हितों के टकराव का सामना करना पड़ता है और वह अपनी ईमानदारी से समझौता कर सकता है।
- **सार्वजनिक जाँच और धारणा:** सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकारी पदों पर बैठे व्यक्ति मीडिया, जनता और निरीक्षण निकायों की गहन जाँच के अधीन होते हैं। व्यक्तिगत संबंध या कार्य

नोट :

जो निजी जीवन में हानिरहित लग सकते हैं, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान या अनुचितता के आरोप लगने की संभावना होती है। उदाहरण: एक सीईओ का बोर्ड सदस्य के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध कॉर्पोरेट निर्णय लेने में पक्षपात संबंधी सवाल उठाता है। उनकी मित्रता की सहज प्रकृति के बावजूद, सार्वजनिक धारणा कंपनी की प्रतिष्ठा और शेयरधारक के विश्वास को नुकसान पहुँचा सकती है।

- **पारदर्शिता बनाए रखना:** उन व्यक्तियों के लिये पारदर्शिता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, जो अधिकार या प्रभाव वाले पदों पर नियुक्त हैं। व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ के लिये अपनी सार्वजनिक स्थिति का उपयोग करने या मित्रों या परिवार के सदस्यों के पक्ष में नियमों के विपरीत चलने में व्यक्तिगत संबंधों के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
  - **उदाहरण:** एक राजनेता सरकारी पदों पर नियुक्तियों पर विचार करते समय अपनी व्यक्तिगत मित्रता को अपने पेशेवर कर्त्तव्यों से अलग करने के लिये संघर्ष करता है।
- **जवाबदेही बनाए रखना:** सार्वजनिक संबंधों में विभिन्न हितधारकों, दृष्टिकोण और प्रभाव के स्तर के साथ विविध प्रकार के हितधारक शामिल होते हैं। सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इन जटिल संबंधों को प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - **उदाहरण:** विशेष हित समूहों या निजी हित के चलते व्यक्तियों द्वारा की गई पैरवी सार्वजनिक अधिकारियों और नीतियों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है, जिससे संभावित रूप से व्यापक सार्वजनिक हित पर इन सामूहिक हितों को प्राथमिकता देकर जवाबदेही से समझौता किया जा सकता है।
- **अलगाव का जोखिम:** निजी और सार्वजनिक संबंधों की मांगों को पूरा करने के प्रयासों से अलगाव की भावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। सार्वजनिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियों का प्रबंधन करते समय प्रतिस्पर्द्धी प्राथमिकताओं को संतुलित करना संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है तथा सामाजिक समर्थन के संजाल को नष्ट कर सकता है।
  - **उदाहरण:** किसी न्यायाधीश को अपने किसी करीबी मित्र से जुड़े मामले की सुनवाई करने के दौरान भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अपने मित्र के प्रति वफादारी से इतर न्यायाधीश को निष्पक्ष रूप से विधि व्यवस्था को बनाए रखने के क्रम में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

इन चुनौतियों से निपटने के लिये सुदृढ़ पारदर्शिता उपायों, मज़बूत नियामक ढाँचे और प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक कार्यालयों में व्यक्ति अपने निजी हितों पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थानों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेही एवं नैतिक नेतृत्व की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।

■■■

निबंध

1. केवल जंगल पर ध्यान देने के क्रम में, पेड़ों को भी न खो दो।

   Keeping the forest in sight, do not get lost in the trees.

2. अनिश्चितता के समय में लोग निश्चितता की चाह रखते हैं।

   In times of uncertainty, people yearn for certainty.

3. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी उन्नति कर लेते हैं, आप बुनियादी तौर पर दूसरों के बराबर ही हैं।

   No matter how far you rise, you are still fundamentally equal to others.

4. नौकरशाही, लोकतंत्र के लिये बाधा नहीं बल्कि अपरिहार्य पूरक है।

   Bureaucracy is not an obstacle to democracy but an inevitable complement to it.

5. कोई भी नागरिक कभी भी इतना अमीर नहीं होगा कि दूसरे को खरीद सके, और कोई भी इतना गरीब नहीं होगा कि खुद को बेचने के लिए मजबूर होना पड़े।

   No citizen shall ever be wealthy enough to buy another, and None poor enough to be forced to sell himself.

6. पर्यावरण तथा लोगों के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की कीमत पर आर्थिक संवृद्धि हासिल नहीं की जा सकती है।

   Economic growth cannot be achieved at the cost of environmental destruction and people's right to a healthy environment.

7. शिक्षा कोई मंजिल नहीं है बल्कि यह एक यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती।

   Education is not a destination, it's a journey that never ends.

8. स्वतंत्रता का आशय मनचाहा कार्य करना है।

   Liberty consists in doing what one desires.

■■■

नोट :